RNI No. : DELBIL/2015/60039

Right to Express the Right

www.legalboundary.in

₹50/-

LEGAL BOUNDARY

Vol. 9 / Issue 05 / April 2024

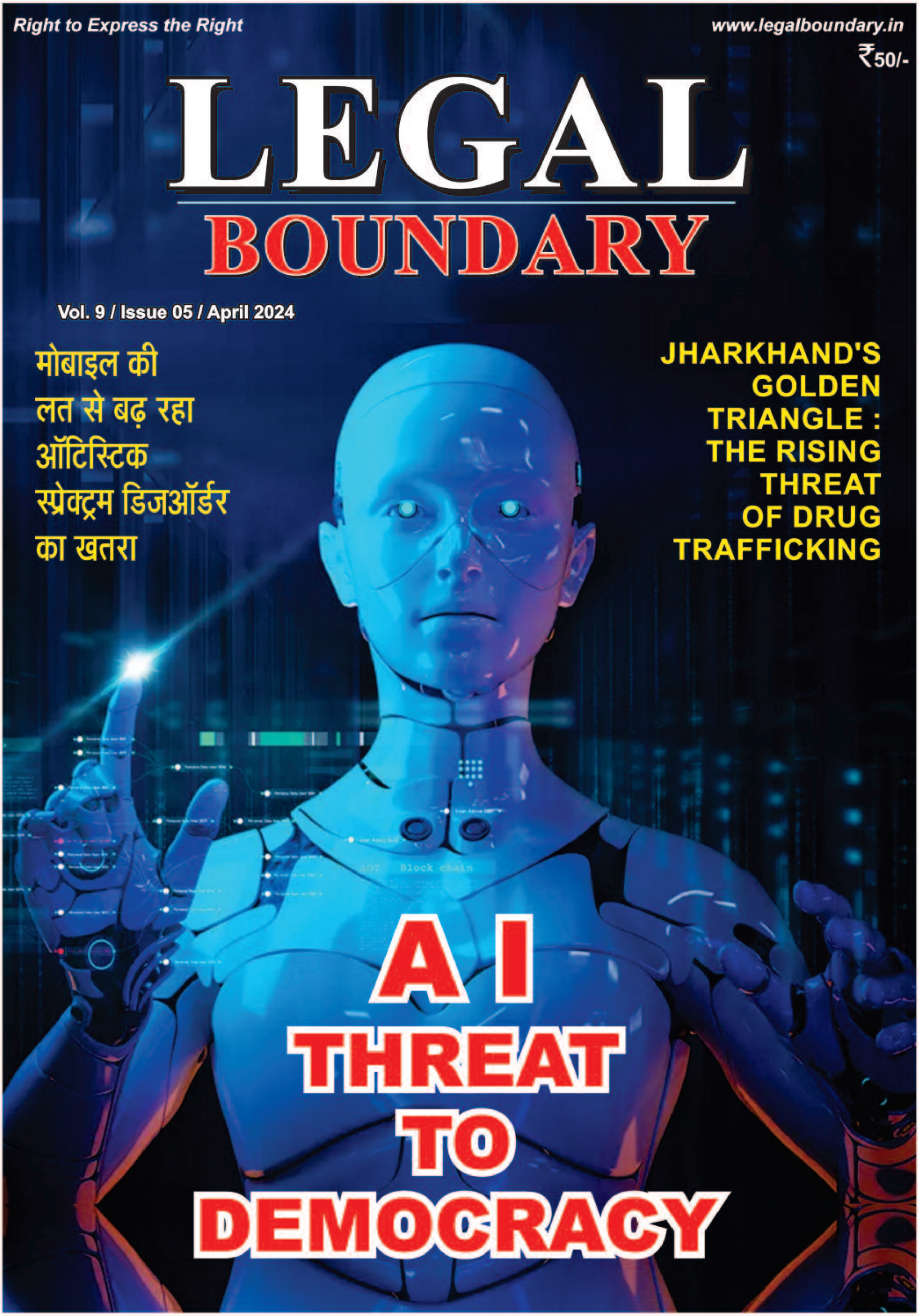

मोबाइल की लत से बढ़ रहा ऑटिस्टिक स्प्रेक्ट्रम डिजऑर्डर का खतरा

JHARKHAND'S GOLDEN TRIANGLE : THE RISING THREAT OF DRUG TRAFFICKING

A I THREAT TO DEMOCRACY

GRIZZLY VIDYALAYA

Affiliated to CBSE Upto +2 Level, An English Medium, Co-educational, Day cum Boarding School

ADMISSION OPEN FOR 2024-25

OUR FEATURES

- A private Boarding School with highest strength in Jharkhand
- Hostel facility available from Grade II & Day Schooling from Nursery onwards
- Personality development classes in competitive environment
- Special Guidance on Competitive Exam (IIT, NDA, CLAT and NEET)
- Tailored NTSE Preparatory Program for Students in Grades VIII to X
- State-of-the-art Laboratories with Advanced Facilities
- Tailored remedial classes for enhanced learning support for slow learners
- Expert trainers for Hobby Classes & Sports
- Well Experienced trained faculty
- 24x7 CCTV monitoring

SEPARATE HOSTEL CAMPUS FOR BOYS & GIRLS

MORE INFORMATION

6200569264, 7070098751

www.grizzlyvidyalaya.com

info@grizzlyvidyalaya.com

P.O. Telaiya Dam, Dist. Koderma-825409

LEGAL™ BOUNDARY

S.K.Sinha
Editor in Chief

Satya Prakash
Editor

Suresh Chaursia
Editorial Head, Hindi

Punam Prakash, Vinesh Chhabra
Editorial Advisor

Manik Chand Seth
Sub Editor

Niraj Kumar &
Dhananjay Kumar Jha
Correspondent Delhi/NCR

Hemant Pandey
Political Correspondent

Sanjay Kaushik,
Bureau Chief, Uttar Pradesh
Gaurav Kumar
Correspondent : Uttar Pradesh
Kulwinder Pal
Bureau Chief, Punjab
Rohit Rohan
Head Marketing and Publicity
Jai Gopal Sharma
Principal Correspondent, Ranchi

Raj Kumar Singh
Video & Graphic Editor

Event & Circulation
Vishal Prasad / Basant Kumar

Legal Advisor
Anup Kumar / RN Singh
Tarun Aggarwal / Sanjay Sonkar

Jayant Kumar Pandey
Account and Operation

Marketing and Publicity By
TTPS Media and Publishing Private Limited

Samant Kumar Pandey
Graphic and Design

Editorial Office:-
Editorial Office:- G-165, IInd Floor,
Sector-63, Noida , Uttar Pradesh
E-mail:-legalboundary@gmail.com
Website:-www.legalboundary.in
Youtube:-Legal Boundary
Phone: 7982860832

Registered Address:-
A-17,100 Feet Road, Hardevpuri
Shahdara, Delhi-110032

RNI No. : DELBIL/2015/60039

Owner and Editor, Satya Prakash, Publisher and Printer Ved Prakash Printed at Jiya Book Binding Works, Address-402, Basement, Patparganj Industrial Area, Delhi-110092 Andplace of Publication A-17,100 Feet Road,Hardevpuri Shahdara, Delhi-110032.

All disputes are subject to the exclusive Jurisdiction of competent courts/forums of Delhi.

CONTENTS

06 AI THREAT TO DEMOCRACY....

10 Election system gives oxygen to..

18 18वाँ लोकसभा चुनाव

26 Jharkhand's Golden Triangle....

42 latest update

46 Tamannaah Bhatia's happiness

MEDIA AND PUBLISHING

A premium 360-degree

Our services

Printing and Publishing
Social Media Marketing/SMM
Political Campaigning
SEO & Content Writing
Google & FB Ads
YouTube Marketing / SEO
Graphics designing
Video Editing
Facebook & Insta Marketing
PPC Adwords
Social Media Handling
Video Production

Call @ 735216521

TTPS MEDIA AND PUBLISHING PRIVATE LIMITED

THE 18TH LOK SABHA OF !! BY !! FOR !! THE PEOPLE OF INDIA...

As the worlds largest democracy goes to polls for the 18th Lok Sabha, there ought to bebig noise. Farmers not happy, Chief Ministers going to jail, release of the Electoral Bond data, turncoats getting coveted tickets and so on, coincidentally, at the beginning of the festival called the General Elections makes the story interesting.ECI gets refreshed and is ready for the herculean task ahead.

The ruling party will go to the people for a third term and the opposition will look for means to stop them. But the opposition seems to be running late and out of ideas or is it short of leadership. All said, they have surely failed to show strength.

The people of India must find their way through the maze of information and mis-information of the social media. The general feeling is that the trustworthy media is no longer worthy to be trusted. All seems to be fake and fable sold Intelligently being Artificial.

It is to be seen what this electorate decides. Will they be driven by the lure like yesteryears or will they come out in numbers to truly cast their mandate for progress and development.

Whatever the result of the polls but democracy will win only when each voter reaches the booth and presses the button on the appointed day. It is the foremost duty of every citizen to vote, else you have no right to complain later.

Remember !

MY VOTE IS MY FUTURE !

S. K. Sinha

Editor in Chief
LEGAL BOUNDARY

AI THREAT TO DEMOCRACY

In the elections for the 18th Lok Sabha much like past elections, the online platforms will play a role in shaping the contours of the campaigns and new developments will challenge the already contested information space. The major development is generative artificial intelligence (AI), which allows anyone to create realistic images, video, audio, or text .

● **SK SINHA**

When the largest democracy goes to poll, a new emerging threat called AI looms large.

Artificial intelligence (AI) refers to computer systems capable of performing complex tasks that till now only a human could do. Reasoning, decision making, and solving problems can be performed by computer systems.

Artificial intelligence is the theoretical state in which a computer system is able to exceed human intelligence. Common examples today are ChatGPT, Google Translate, Netflix, Tesla etc.

Whenever we use the term artificial general intelligence, we are referring to the kind of computer programs and machines that are commonly found in popular science fiction.

The major threat lies in the ability of AI to quickly generate new content, text or images. Today it is the major tool to create misinformation and violate laws and regulations.

The impact of social media on elections is evident but the threat of AI is enormous and unexplored. Agencies involved in conducting fair elections are yet to device means to counter this unseen enemy.

In the elections for the 18th Lok Sabha much like past elections, the online platforms will play a role in shaping the contours of the campaigns and new developments will challenge the already contested information space. The major development is generative artificial intelligence (AI), which allows anyone to create realistic images, video, audio, or text .

AI outputs have been advanced enormously. We have already seen the impact with the launch of ChatGPT in November 2022. Its potential for creating a disinformation chaos in the 2024 by accelerating production of false information.

AI generated or significantly altered content can be used to undermine democratic discourse and electoral behaviour in a vari-

ety of ways. They can deter voters from exercising their right to vote or manufacture events depicting a candidate to be involved in some scam or scandal that will disturb his supporters.

Authentic information can be labelled to be cast as false or generated to avoid accountability, especially in matters of scandals impacting election campaigns. This can cause a sway in public opinion, create rift in communities, demotivate or deceive voters undermining the trust of the general public in the electoral process.

As a democratic country we need to consider how to respond, and create means for interventions against the threat from AI. Legislation should be adequately updated for election-specific concerns of deepfake content depicting candidates.

The voter should also be educated about how to scrutinize generated content. Tech companies also should be directed for watermarking devising new tools for detection. They can also facilitate online information to wholly address the challenge of generative AI.

AI invasion has already been experienced by the Americans during their elections. The Chinese attempts at influencing the American elections with the help of generative AI has also been reported. AI generated fake contents have come up concerning the Russia – Ukraine War. Even smaller countries such as Bangladesh have reported widespread use of AI generated misinformation and deepfakes in their recent elections.

A concept has evolved known as the "liar's dividend" whereby some politicians profit from an informational environment saturated with misinformation.

Another prominent phenomenon is called the "firehose of falsehood" which is a propaganda technique where large number of messages are broadcast rapidly, repetitively, and continuously over multiple channels without any check for truth or consistency

The print media has been almost wiped out by the online platforms , specially after the pandemic, but it alone has the potential to counter the menace of AI disinformation. Though in India we still have some hope with a remaining few print media houses which are continuing against all odds. The trust on print media can get a boost in this attempt to counter this threat. The concerned agencies can educate the citizen to check and cross check information and not believe anything and everything catered on online platforms. The print media has an opportunity as a service to the nation.

The proliferation of AI-generated content during the general elections 2024 may accelerate the loss of trust in the overall election system. A nation where 77% of the population use mobile phones and more than 60% of them are active on the social media there is a need for serious concern. Voters inhabit online spaces crowded with manipulated viral images and videos and AI-generated text. Widespread use of generative technology could create a tremendous confusion as what to believe and what not to believe.

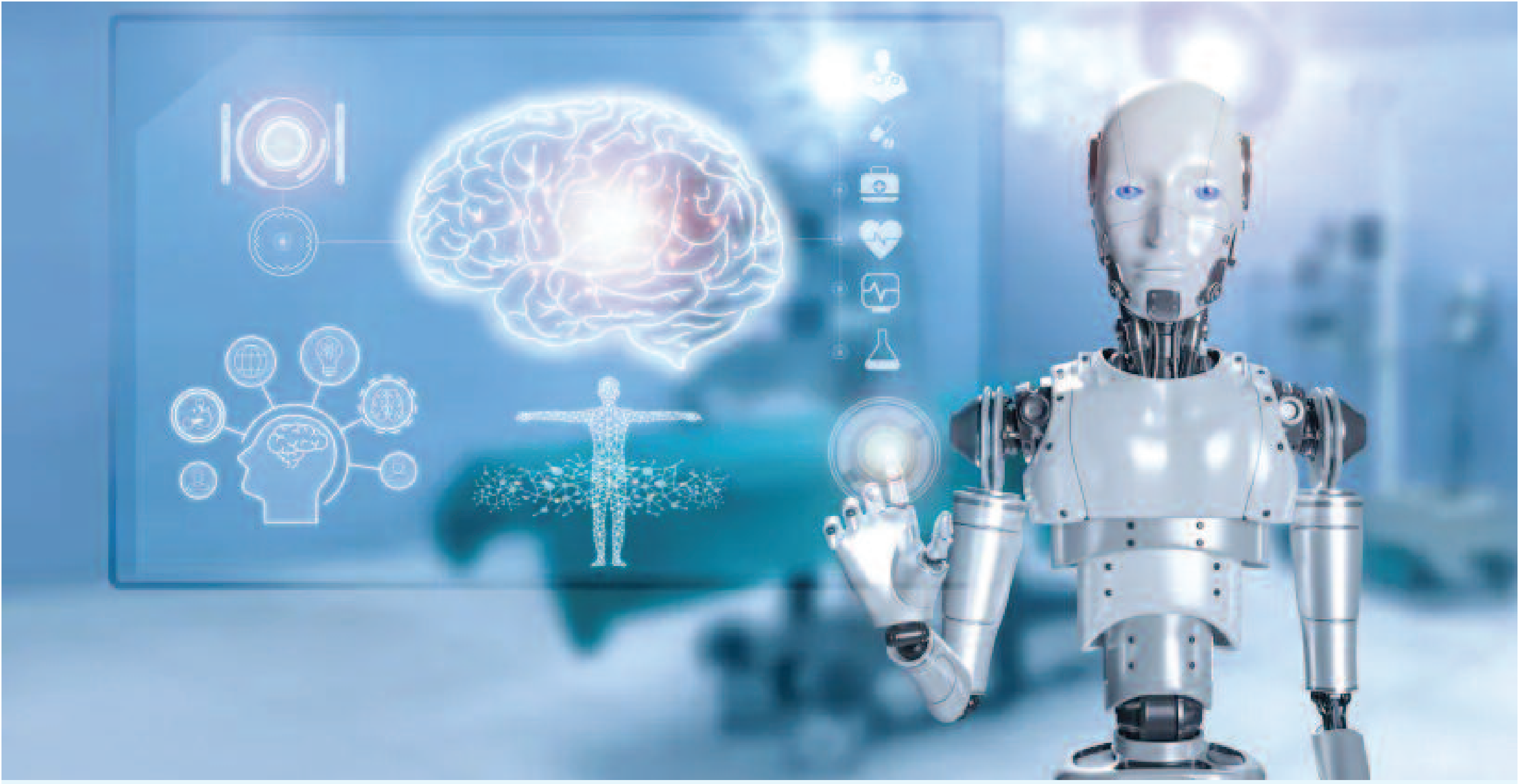

From Deep Fakes to Data Analysis: AI's Role in Redefining Indian Politics

AI assists candidates in interacting with the general public through forms, surveys, advertising, and conveying their message to the target audience.It helps achieve public policy objectives. Overall, creating a good reputation for political parties.

● **By Shubhangi Datta**

As the 2024 Election's hype intensifies in Indian regions, not only politicians but also local citizens seem exhilarated. However, the main highlight of this election is Artificial Intelligence. You might be wondering about the role of AI in the ECI; the truth is that AI has permeated every sector and industry, including elections, which are evolving with tech-oriented rules. This article will primarily focus on AI deep fakes and also explore the pros of AI within the Election Commission of India.

GOOD SIDE OF AI IN ELECTIONS:

AI has revolutionized election campaigns, influencing three broad aspects: voters, candidates, and the vote counting process.

One positive aspect of AI is its facilitation of gathering information about candidates, their work, and the policies of political parties. This aids voters in making informed decisions. It enables instant advertising and political campaigns for political parties and leaders.

AI assists candidates in interacting with the general public through forms, surveys, advertising, and conveying their message to the target audience.It helps achieve public policy objectives. Overall, creating a good reputation for political parties.

MENACE OF DEEP FAKE:

We have so far become acquainted with AI-generated deep fake audio, videos, and pictures widely spreading through social media. While AI offers numerous benefits for setting up campaigns, it's also a widely concerning and unsettling issue.

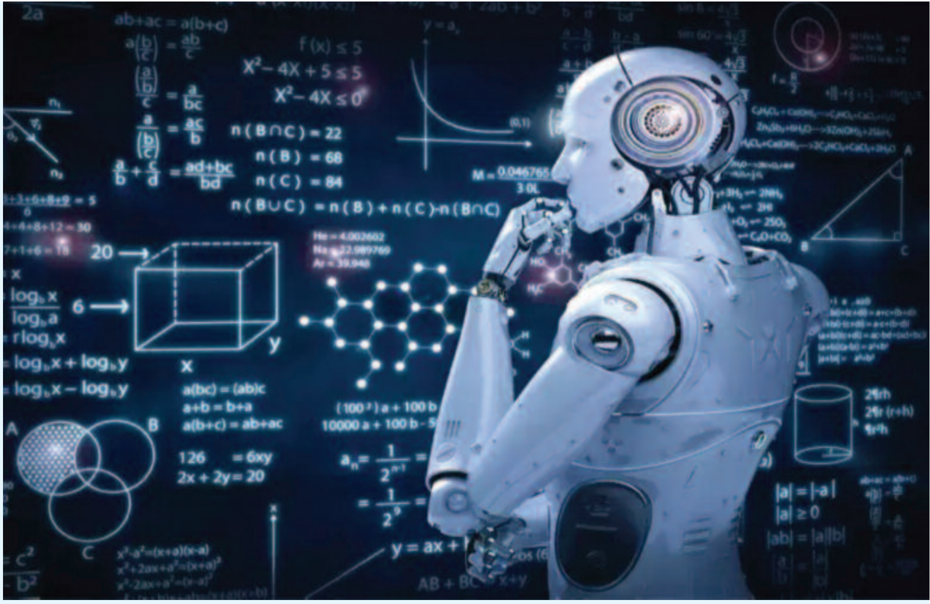

Deep fakes superimpose someone's face, depicting a false image to make them look foolish, resulting in disruptive content. These contents are generally created through subscription-based apps (tools charging between $20-$30).

In 2023, over 500,000 deep fakes were shared on social media, with video and audio deep fakes increasing by 3x and 8x respectively.

From Bollywood actors to politicians (netas), deep fakes are a concerning issue. These fake videos can deceive anyone and are now impacting big-time politics, with politicians being major targets.

This political arena we have seen the deep fake internationally now happening in India. Deep fakes are often used against opponents or in favor of a candidate, leading to misleading, fraudulent, and intrusive content.

SOLUTION TO THIS DILEMMA:

Although the Ministry of Electronics and Information Technology asked to crack down on deep fakes in December, it has not changed anything. Strict government regulation is the best way to address this issue.

"The advisory mandates that intermediaries communicate prohibited content, particularly those specified under Rule 3(1)(b) of the IT Rules, clearly and precisely to users," said Rajeev Chandrasekhar, IT Minister.

It is noteworthy that deep fake videos were not only generated in 2023 but were also seen during the 2019 Indian elections. However, concerns started to rise during 2023 due to the increase in such content creation.

The best way to combat such disturbing videos is to analyze and cross-check content from verified sources

Several software companies are working on controlling the negative implications of deep fakes on society, and companies such as Intel (with software fake catchers) claim 96% reliability in detecting fake information.

Camera makers such as Sony, Canon, and Nikon are also working on combating deep fakes by giving content a digital signature.

Elections are an essential part of our Indian constitution. AI has already punctuated the 2024 election cycle in ways that could transform how campaigns are run and how voters are informed or misled. Moreover, AI has many advantages in politics. It can work in favour of a candidate or against their opponents.The proliferation of deep fake videos raises important questions about why strict regulations have not been implemented yet.Is it because such regulations may inadvertently support legitimate leaders or suppress their opponents? Or is it due to a lack of awareness about the dangers of AI and the necessary steps to mitigate those dangers? The reasons remain unclear. While this paradigm shift is inevitable, it is important to handle it carefully."

Election system gives oxygen to democracy

The election process is continuously improving. There has been a lot of change in the election process of one and a half decade ago and today's election process. Now voting is done through EVM machines. Whereas in the past, voting was done by putting ballot paper in the ballot box. Which took time to count. The possibility of fraud was high then. It took the whole day and night to count the votes. But today the results of morning counting are available by afternoon. This has reduced the burden on leaders, officers and counting personnel.

Today, in EVM VVPAT (Vote Verification Paper Audit Trail) machines, voting is done by pressing a button next to the name and election symbol. The election symbol of the candidate appears on the VVPAT display. This process takes two seconds. The entire process is completed in seven seconds. Many types of sensors are installed on VVPAT machine. Doubts have been raised about the functioning of EVM machines. Now that EVM machines have been used in the previous assembly elections and Lok Sabha elections, there is no justification to doubt it in this election. Whatever complaint has been received re-

garding the operation of the machines. Has been resolved. But there is no solution to the doubt. Our voting system has been appreciated by many countries.

In the present election system, voter slips have photographs along with names, due to which the possibility of fake voting is negligible. Now the incidents of booth capturing have come to an end. It is the job of Booth Level Officer (BLO) to distribute voter slips. He helps the voter at the booth.

Is available for. If a voter needs a voter slip, he provides it on the spot. Voters can cast their votes in elections by showing voter identity card, Aadhar card, driving license and other identity cards.

The limit on election campaign expenditure is fixed for Assembly and Lok Sabha elections. Spending beyond the limit is punishable. The details of expenditure on election campaign and publicity have to be given to the returning officer. For this reason, now advertisements, posters and banners etc. are not published in newspapers like before. This is a big achievement of the Election Commission. This has reduced the wasteful expenditure of candidates in elections. This has reduced electoral corruption. Candidates contesting elections have to give details of crimes and cases registered as per the instructions of the Supreme Court. But this is not helping in banning

leaders with criminal tendencies from contesting elections.

Candidates contesting elections have to deposit huge amount of money in the government account at the time of nomination, which gets confiscated if they do not get enough votes. For this reason, candidates from the poor class are not able to contest elections. The amount of security deposit should be such that even poor candidates become candidates and reach the Houses after winning the elections.

The specialty of today's elections is that there is less door-to-door contact through loudspeakers, posters or banners. The election code of conduct is strictly followed. Due to which elections have become transparent and corruption free. Now corrupt activities are recorded through mobile phones and cameras. Which goes viral. On which the Election Commission, Police and Administration take action. This is the first time in the history of the Election Commission that candidates were barred from campaigning for 2.3 days for using indecent words. Now the Election Commission takes immediate action on any undesirable election activities. This is an important achievement in the direction of electoral reforms.

The population of India is one billion forty crore. In which voters are 18 years of age or above. It is ironical that the average voting percentage is 55 to 65 percent. There is not much voting. Due to many reasons people are not able to go to polling booths to vote. Someone is sick or helpless or someone is so uneducated and cowardly that he hesitates to vote in elections. There may be many other circumstantial reasons. Due to which people are not able to go to polling booths. Many people believe that voting should be made mandatory. Such an idea is neither logical nor practical. Therefore, voting has also rejected the policy of making it mandatory.

Elections are the backbone of democracy. The Lok Sabha elections to be held this year are a test of democracy. There should be a permanent government at the center which can take concrete decisions. Elections should be fair and free from violence. This is possible only when all political parties make efforts in this direction. The world keeps an eye on India's democracy. Therefore, we can set an example by conducting elections.

नागरिकता संशोधन कानून सामयिक

● **डेस्क**

यह समय की मांग भी है और जरूरत भी है। ईसाई अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। इसके लिए प्रलोभन भी देते हैं। हमारे देश में कितने ही गरीब ईसाई धर्म को अपनाने को बाध्य हो गए। इसी तरह मुसलमान अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। भारत में तो मुगलकाल में हिंदुत्व को तलवार के बल पर रौंदकर लोगों को मुसलमान बनाया गया। हजार साल की गुलामी के बाद हमारा भारत आजाद हुआ है तो हिंदुत्व की रक्षा का दायित्व हमें निभाना ही चाहिए। नागरिकता संशोधन कानून अर्थात सीएए इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण और सामयिक कदम है।

केंद्र की मोदी सरकार ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उधर, केंद्र द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ स्वार्थी नेताओं ने विरोध भी जताया है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता इसे विभाजनकारी बता रहे हैं लेकिन उनके पास भी इसका जवाब नहीं है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में मुसलमान तो बहुसंख्यक हैं। उनका भारत में पलायन नहीं हो रहा है बल्कि वे किसी साजिश के चलते हिंदुस्तान आना चाहते हैं। इसलिए उनको नागरिकता देने का औचित्य ही नहीं बनता है।

दरअसल, 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएए को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। इसे पार्टी ने बड़ा मुद्दा बनाया था। गृह मंत्री अमित शाह हाल ही के अपने चुनावी भाषणों में कई बार नागरिकता संशोधन कानून या सीएए को लागू करने की बात कर चुके थे। उन्होंने ऐलान किया था कि लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा। अब केंद्र सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसे लागू कर दिया है। सीएए के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्कों से आने वाले बाकी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सीएए दिसंबर 2019 में पारित हुआ था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी लेकिन इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। यह कानून अब तक लागू नहीं हो सका क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए नियमों को अधिसूचित किया जाना था। सीएए नियम जारी होने के बाद जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए थे केवल उन्हें ही केंद्र सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीयता दी जाएगी। सीएए में छह गैर-मुस्लिम समुदायों हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी शामिल हैं। इन्हें केवल भारतीय नागरिकता तब ही मिल सकती है, जब इन्होंने 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में शरण ली हो। नागरिकता अधिनियम, 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। इसमें

बताया गया है कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता कैसे दी जा सकती है और भारतीय नागरिक होने के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं।

इस अधिनियम में पहले भी कई बार संशोधन हो चुका है। इसीक्रम में 2019 में एक बार केंद्र की बीजेपी सरकार इस कानून में संशोधन के लिए विधेयक लाई थी, जिसे नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2019 कहा गया। संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद जब इस विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लगी तो यह कघनून बन गया। अब 11 मार्च, 2024 को इस कानून को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की गई है। नागरिकता संशोधन कानून से असम एनआरसी द्वारा बाहर किए गए लोगों की मदद करने की उम्मीद जताई गई है। प्रदर्शनकारियों को लगता है कि सीएए से राज्य में गैर-मुस्लिम प्रवासियों को लाभ होगा। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 को भारतीय संसद में 11 दिसंबर, 2019 को पारित किया गया, जिसमें 125 मत पक्ष में थे और 105 मत विरुद्ध में थे। बिल पास हो गया और इस विधेयक को 12 दिसंबर को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल गई। बिल के पारित होने से उत्तर-पूर्व, पश्चिम बंगाल और नई दिल्ली सहित पूरे देश में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। राष्ट्रीय राजधानी 15 दिसंबर को ठप पड़ गई, जब जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों द्वारा विरोध मार्च का आयोजन किया गया और इसने हिंसक रुख अपना लिया। छात्र और पुलिस आमने-सामने थे। झड़पें हुईं और सार्वजनिक बसों में आग तक लगाई गई। हिंसक झड़पों के बाद, दिल्ली पुलिस ने हिंसा में शामिल होने के लिए कथित तौर पर जामिया के 100 से अधिक छात्रों को हिरासत में लिया। जामिया के छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के विरोध में और हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई की मांग को लेकर 15 दिसंबर को देर शाम जेएनयू और डीयू जैसे अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों सहित हजारों लोग दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर एकत्र हुए।

नागरिकता संशोधन कानून, 2019, अल्पसंख्यकों के लिए भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है, जो भारत के तीन पड़ोसी देशों (पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान) से उत्पीड़न या किसी और कारण से अपना देश छोड़कर भारत में आना चाहते हैं। इसका किसी भी भारतीय नागरिकों से कोई लेना-देना नहीं है, चाहे वे किसी भी धर्म से आते हो। इस संशोधन बिल के आने से पहले तक, भारतीय नागरिकता के पात्र होने के लिए भारत में 11 साल तक रहना अनिवार्य था। नए बिल में इस सीमा को घटाकर छह साल कर दिया गया है। नागरिकता संशोधन कानून, 2019 से असम एनआरसी द्वारा बाहर किए गए लोगों की मदद करने की उम्मीद जताई गई है। हालांकि, राज्य के कुछ समूहों को लगता है कि यह 1985 के असम समझौते को रद्द करता है।

1985 के असम समझौते ने 24 मार्च, 1971 को अवैध शरणार्थियों के निर्वासन की कट-ऑफ तारीख तय की थी, जबकि एनआरसी का पूरा उद्देश्य गैरकानूनी प्रवासियों को उनके धर्म से बेदखल करना था, असमिया प्रदर्शनकारियों को लगता है कि सीएए से राज्य में गैर-मुस्लिम प्रवासियों को लाभ होगा।

एनआरसी के तहत, एक शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है यदि वे साबित करते हैं कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में थे। असम में इस प्रक्रिया को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को बाहर करने के लिए शुरू किया गया था, जो भारत आए थे। बता दें कि 1971 में हुए भारत-पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ था।

सीएए के लागू होने पर कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि सीएए को अधिसूचित करने में मोदी सरकार को 4 साल और 3 महीने लग गए. पीएम दावा करते हैं कि उनकी सरकार प्रोफेशनल ढंग से और समयबद्ध तरीके से काम करती है. सीएए को लागू करने में लिया गया इतना समय पीएम के सफेद झूठ की एक और झलक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अधिसूचना के लिए जानबूझकर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले का समय चुना है। यह साफतौर पर चुनाव को ध्रुवीकृत करने के लिए किया गया है। यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि जब देश का नागरिक रोजी-रोटी के लिए बाहर जाने पर मजबूर हैं तो दूसरे के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा? जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। बीजेपी सरकार ये बताए कि उनके 10 सालों के शासन में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी ऐसा करने लगती है। कानून में अगर भेदभाव है तो हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं फिर चाहे वो धार्मिक हो, भाषाई हो या फिर जाति आधारित हो। दो दिन में किसी को नागरिकता नहीं दे सकते हैं। ये सिर्फ लॉलीपॉप और दिखावा है। अगर सीएए के बाद ही कुछ लोगों को नागरिक कहते हैं तो क्या ये लोग पहले नागरिक नहीं थे?

राँची द दलाल स्ट्रीट ऑफ झारखण्ड

जैसा कि हम जानते है कि झारखण्ड खनिज सम्पदा से भरा राज्य है। यहाँ विकास की असीम संभावनाएं है। अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलके सार्थक पहल करे तो झारखण्ड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक हो सकता है। कई मल्टीनेशनल कम्पनीज झारखण्ड में निवेश की योजना पे काम कर रही है। कई पावर जेनेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज को भी झारखण्ड अपने और आकर्षित कर रही है।

प्रशांत शेखर
(फाउंडर एंड सीईओ - फिनलिट एनालिटिक्स एल.एल.पी, नई दिल्ली)

भारतीय शेयर बाजार नित नए आयाम गढ़ रहा है और साथ ही निवेशकों को अपनी और आकर्षित कर रहा है। चाहे वह बड़े निवेशक हो या फिर छोटे। पिछले एक दशक में भारतीय शेयर बाजार में लगभग साढ़े चार गुना की बढ़ौतरी देखी गयी है। शेयर बाजार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर कहा जाता है। जिस भी देश की अर्थव्यवस्ता अछि होती है उस देश का मेजर सूचकांक में वृद्धि देखि जाती है। अगर किसी देश की हालात खस्ता हो तो फिर सूचकांक में गिरावट देखी जाती है। भारतीय सूचकांक निफ़्टी और सेन्सेक्स को देखे तो ये स्पस्ट संकेत देता है कि भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। जिसका बहुत बड़ा शेयर केंद्र की केंद्र सरकार की दूरदर्शिता एवं कुशल नेतृत्व को जाता ही बाजार को पारदर्शिता चाहिए। जो वर्तमान सरकार के कार्य शैली में दिखती है और इसे पूरा विश्व स्वीकार करता है।

पिछले एक दशक में झारखण्ड में भी शेयर बाजार को लेके जागरूकता में काफी इजाफा देखने को मिला है। झारखंड की कुल आबादी लगभग 4 करोड़ है। झारखण्ड की कुल आबादी में एक बड़ा हिस्सा युवाओ का है। अमूमन देखा जाता है कि जोखिम उठाने की छमता युवाओ में ज्यादा होती है। झारखण्ड में सीधे इक्विटी में निवेश का प्रतिशत ज्यादा है। और यह प्रतिशत लगभग झारखण्ड शेयर बाजार में कुल निवेश का 80% के करीब है। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कहता है। शायद इसी कारण से रांची झारखण्ड का दलाल स्ट्रीट बनता जा रहा है। जो झारखण्ड की बदलती तस्वीर का गवाह है। झारखण्ड में लगभग सभी छोटी -बड़ी शेयर ब्रोकर्स के ब्रांचेज आपको मिल जाएगी। शेयर बाजार में निवेश के लिए झारखण्ड का सबसे अग्रणी जनपद रांची है। दूसरा नंबर जमशेदपुर और तीसरा धनबाद का आता है। रांची, राज्य की राजधानी दूसरा जमशेदपुर में टाटा स्टील की विश्वस्तरीय स्टील प्लांट और तीसरा धनबाद जो कोयले के उत्पादन में

विश्व विख्यात है। चौथे नंबर पे नाम आता है बोकारो जनपद का। यहां सेल का स्टील प्लांट है। झारखण्ड के इन चारो जनपद को मिला लिया जाय को 70 से 80% तक के निवेश शेयर बाजार में इन्ही जनपदों से होता है। सभी की केंद्र बिंदु राँची।

जैसा कि हम जानते है कि झारखण्ड खनिज सम्पदा से भरा राज्य है। यहाँ विकास की असीम संभावनाएं है। अगर केंद्र और राज्य सरकार मिलके सार्थक पहल करे तो झारखण्ड राज्य देश के अग्रणी राज्यों में से एक हो सकता है। कई मल्टीनेशनल कम्पनीज झारखण्ड में निवेश की योजना पे काम कर रही है। कई पावर जेनेरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनीज को भी झारखण्ड अपने और आकर्षित कर रही है। स्टील उत्पादन में झारखण्ड अग्रणी राज्यों में एक है। ऑटोमोबाइल छेत्र में भी इस राज्य का योगदान सहरानिये है। प्रदेश में कई छोटे बड़ी सीमेंट कम्पनीज है। झारखण्ड सरकार को चाहिए कि वह राँची को आईटी हब के रूप में भी विकसित करे। एस.इ.जेड (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) के तौर पे राँची के सीमावर्ती इलाकों को विकसित करना होगा। जो कि भविष्य में भारत के पूर्वोत्तर भाग का प्रतिनिधत्व करे। एक मजबूत सरकारी इक्छाशक्ति की जरूरत है क्योंकि प्रदेश में सम्भावनाये प्रचुर है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि अगर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने वाले दिनों में बनती है तो निश्चित तौर पे इस पे पहल हो सकता है। साथ ही स्टार्ट-अप को भी बल प्रदान करना होगा। क्योंकि राज्य में छोटे और मंझौले व्यवसाय के भी व्यापक संभावनाए है। शायद इसी संभाववानो को ध्यान में रखते हुवे बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनीज निवेश के लिए झारखण्ड की और अपना मन बनाना चाह रही है। जिससे प्रदेश को विकास के एक नए ऑर्बिट में ले जाया जा सकता है। जिससे कुल मिला के राज्य में रोजगार का व्यापक रुप से सृजन किया जा सकता है। और राज्य की आर्थिक स्तिथि सुदृढ़ होगी और निवेश का माहौल बनेगा. जिससे झारखण्ड के दलालस्ट्रीट रांची को और अधिक मजबूती मिलेगा।

झारखण्ड में म्यूच्यूअल फंड्स निवेश में भी वृद्धि देखने को मिली है। म्यूच्यूअल फण्ड के माध्यम से छोटे निवेशक भी अपना निवेश कर पाते है। बिहार से अलग हुवा राज्य झारखण्ड, 15नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और आज के दिनों में म्यूच्यूअल फण्ड निवेश के मामले में झारखण्ड, बिहार से आगे है। जहां झारखण्ड में म्यूच्यूअल फण्ड निवेश जीडीपी का 17% है वही बिहार में इस-का लगभग आधा है। झारखण्ड में कुल 45 ए.म.सी सक्रिय है। वर्ष 2023 कैलेंडर ईयर तक भारत में म्यूच्यूअल फण्ड फोलिओ की संख्या लगभग 17 करोड़ के आस पास थी। दिसंबर 2023 तक कुल एस.आई.पी की संख्या 7.6 करोड़ थी और 17610 करोड़ रुपए सिर्फ दिसंबर 2023 में निवेश किये गए। भारत की म्यूच्यूअल फण्ड इंडस्ट्री का औसत ए.यु.एम ₹51 लाख करोड़ पार कर चूका है. (कठफ 51.09 ट्रिलियन) और म्यूच्यूअल फण्ड डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या 2.56 लाख है। केंद्र में जब मई 2014 में मोदी सरकार आयी थी तो भारत की म्यूच्यूअल फण्ड इंडस्ट्री का औसत ए.यु.एम कठफ 10 ट्रिलियन थी. एक दसक में पांच गुना से ज्यादा हो गया।

जनवरी 2024 के आंकड़ों के आधार पे झारखण्ड राज्य का म्यूच्यूअल फण्ड ए.यु.एम 56700 करोड़ रुपए है। जबकि महाराष्ट्र का 2170500 करोड़ रुपए, बिहार का 50400 करोड़ रुपए और बंगाल का 274500 करोड़ रुपए है। झारखण्ड जैसे राज्यों में निवेश को लेकर जागरूकता की बहुत जरुरत है। अगर इसपर सही दिशा से काम किया जाय तो राज्य के लोगो में निवेश को लेके और अधिक जागरूकता लाया जा सकता है।

मोबाइल की लत से बढ़ रहा
ऑटिस्टिक स्प्रेक्ट्रम डिजऑर्डर का खतरा

> मोबाइल की लत से बढ़ रहा ऑटिस्टिक स्प्रेक्ट्रम डिजऑर्डर का खतरा
>
> देर से बोलना सीख रहे बच्चे, पढ़ाई में ध्यान नहीं कर पा रहे केंद्रित
>
> चिड़चिड़ा हो रहा स्वाभाव, मोबाइल से दूरी भी नहीं कर पा रहे बर्दाश्त

● **डॉ पी मिश्र (रांची)**

क्या आपका लाडला भी दिन भर मोबाइल के साथ चिपका रहता है। उससे मोबाइल लेने की कोशिश से वह भड़क उठता है। जोर जोर से रोने लगता है नोचने झपटने लगता है। जिद मचा देता है। आसमान सिर पर उठा लेता है। अगर ऐसी स्थिति तो संभल जाएं। हो न हो मोबाइल से उत्पन्न होने वाली गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में आ रहा है। बाल रोग और मानसिक रोग विशेषज्ञों के पास अब मोबाइल की लत से बीमार बच्चों के केस आने लगे हैं। छोटे शहर में भी एक अनुमान के अनुसार सप्ताह में दर्जन भर ऐसे बच्चों के केस आ रहे हैं।

बच्चों में मोबाइल की लत गंभीर चिंता की बातः डॉ विकास

हजारीबाग के शिशु बाल रोग विशेषज्ञ डॉ विकास कुमार सिंह कहते हैं कि उनके पास हर दो तीन दिन में एक दो बच्चे ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिजऑर्डर जैसे लक्षण से ग्रसित बच्चे मिल रहे हैं। जो गंभीर चिंता का कारण है। वह कहते हैं कि ऐसे बच्चों की जयादातर घंटो मोबाइल पर समय बिताने की हिस्ट्री देखी जा रही है। वह कहते हैं कि पिछले कुछ सालों में मां-बाप के बीच एक यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि वह अपने बच्चों का मन बहलाने के लिए उन्हें मोबाइल पकड़ा दे रहे हैं। यह स्थिति घातक साबित हो रही है।

वह कहते हैं कि बड़े शहरों की तरह यहां भी बच्चों में वर्चुअल ऑटिज्म की शिकायतें बढ़ रही हैं।

जितना हो सके बच्चों को मोबाइल से दूर रखेंः डॉ क्षितिज आनंद

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज के शिशु रोग विभाग के एचओडी डॉ क्षितिज आनंद कहते हैं कि कोरोना काल के बाद मोबाइल की लत में पड़े बच्चों के व्यवहार में काफी बदलाव दिख रहा है। उनमें एक ओर ज्यादा चिड़चिड़ापन दिख रहा है तो दूसरी ओर कई तरह की नई परेशानी भी दिखने लगी है। बच्चे बोलना भी बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। उनमें एकाकी भाव भी दिख रहा है। वह कहते हैं कि मोबाइल की लत में एक ही तरफ से संवाद होता है जो बच्चों में एकाकी भाव बढ़ा रहा है। सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति शून्य से दो वर्ष की उम्र के बच्चों को लेकर है। अमेरिका से आई गाइडलाइन में इस उम्र के बच्चों को जरा सा भी मोबाइल दिखाना नहीं है। वहीं दो से 5 साल के बच्चे आधा घंटे से अधिक मोबाइल स्क्रीन नहीं देना है। उसी तरह पांच साल से ऊपर के बच्चे एक घंटा तक की अवधि निर्धारित की गयी है। इसके बाद भी घंटों बच्चे मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं।

अपने बच्चों के लिए माता पिता को समय निकालना होगाः डॉ रूपा घोष

एचएमसीएच की मनोरोग चिकित्सक डॉ रूपा घोष कहती हैं कि मोबाइल की लत के कारण बच्चों में फोकस करने की क्षमता का ह्रास हो रहा है। उनके पास इलाज के लिए कई ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिन्हें मोबाइल की लत के कारण पूरा व्यवहार बदल जाता है। उन्हें किसी दूसरी चीज में ध्यान नहीं लगता है। न वह अपना टास्क पूरा करते हैं और न ही अन्य काम ठीक से करते हैं वह कहती हैं कि इसके लिए माता पिता को ध्यान देना होगा। किसी भी स्थिति में खुद का पिंड छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल नहीं सौंपना होगा। हर हाल में उनके लिए भी समय निकालना होगा। वह कहती है कि रात में अंधेरा करके तो मोबाइल देखने से बच्चों के साथ बड़ों को भी परहेज करना होगा। ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल से अनिद्रा के शिकार भी लोग हो रहे हैं।

केस 1

एचएमसीएच में पिछले दिनों एक 18 वर्ष की लड़की बेचैनी और घबराहट और गुस्सा की शिकायत पर पहुंची। डॉ बताती हैं कि पूछताछ पर पता चला कि वह फोन के बिना एक मिनट भी नहीं रह पाती थी। यहां तक की फोन चार्ज में होने के दौरान भी उसे बहुत घबराहट होने लगती थी। घर वालों से हमेशा झगड़ पड़ती थी पर डॉक्टर की काउंसिलिंग से वह ठीक हुई है।

केस 2

एचएमसीएच में एक दस के लड़के को उसकी मम्मी लेकर आई थी। उसकी मम्मी ने बताया कि वह भी दिन भर मोबाइल में गेम खेलता रहता था। इससे वह पढ़ाई में बिल्कुल कमजोर हो गया है। चिड़चिड़ा भी हो गया है। किसी की बात नहीं सुनता है। डॉक्टर ने उसकी काउंसिलिंग की है। साथ ही दवा भी दी है। वह सुधार की राह पर है पर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है।

एक विश्लेषण

18वाँ लोकसभा चुनाव

लोकतंत्र का सफरनामा

> **जनता की याददाश्त कमजोर होती है अथवा जनता एक स्थिर परिपक्व सरकार चाहती है? विदेशी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप की बात करने वाली इंदिरा गाँधी की बातों के पीछे कोई रहस्य था? संगठन की दुहाई देने वालों के संगठन की शक्ति क्षीण हो गयी अथवा संगठन केवल प्रचार का साधन है?**

● **माणिकचन्द सेठ**

सन 1947 से लेकर सन 2019 तक भारत में लोकसभा के चुनाव सत्रह बार हो चुके हैं । सन 2024 में अठारहवी लोकसभा का चुनाव हो रहा है। हर लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी दल एवम विपक्षियों के बीच सत्ता की प्राप्ति का संघर्ष होता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के सतहत्तर सालों बाद भी आरोप प्रत्यारोप की नीति ही सत्ता प्राप्ति का एकमात्र साधन है। हर चुनाव में एक भावनात्मक मुद्दा जनता की संवेदनाओं को उद्वेलित करता है और सत्ता का माध्यम बन जाता है।

सतहत्तर सालों के सफर का सिंहावलोकन करने पर पता चलता है कि कभी गरीबी हटाओ का नारा, लगातार तीन बार केंद्र में सत्ता दिलाता है। फिर वही गरीबी हटाने वाले दल की नेता शक्ति का केंद्र बन जाती है। भ्रष्टाचार , अफसरशाही, मंहगाई, बेरोजगारी बेलगाम हो जाती है। जनता की अकुलाहट असंतोष की आवाज बन जाती है और इस परिस्थिति में आग में घी का काम करता है राजनारायण द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर आया निर्णय जिसमें इंदिरा गांधी को चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी पाकर अयोग्य घोषित किया जाता है। सत्ता के शीर्ष पर बैठी कांग्रेस सरकार की मुखिया इंदिरा गांधी का अधिनायकवादी स्वरूप दिखता है। देश में आपातकाल की घोषणा होती है।भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के विरुद्ध जय प्रकाश नारायण की अगुवाई में जनता की आवाज के साथी बनने वाले नेताओं को कारागार और अंत में 25 जून 1975 से 21 मार्च 77 की इक्कीस महीने की त्रासदी समाप्त हुई। तानाशाही के खिलाफ जनता ने वोट दिया और जनता पार्टी का उदय हुआ। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक रहे और किसान नेता चौधरी चरण सिंह जनवरी 1980 तक प्रधान मंत्री का दायित्व निभाया। एक बार फिर आपातकाल थोपने वाली इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में वापस आईं और 1984 तक सत्ता में बनी रहीं। इतनी जल्दी सत्ता वापसी के क्या कारण थे ? जनता की याददाश्त कमजोर होती है अथवा जनता एक स्थिर परिपक्व सरकार चाहती है ? विदेशी ताकतों द्वारा हस्तक्षेप की बात करने वाली इंदिरा गाँधी की बातों के पीछे कोई रहस्य था ? संगठन की दुहाई देने वालों के संगठन की शक्ति क्षीण हो गयी अथवा संगठन केवल प्रचार का साधन है ?

कांग्रेसमुक्त पहली सरकार का कार्यकाल पूरे पाँच साल नहीं चला। फिर इंदिरा गांधी की हत्या ने उनके हवाई जहाज उड़ाने वाले बेटे के लिये कॉकपिट से राजनीतिक गलियारे की कैबिनेट से होते हुये देश की कमान दिलाई। सन 1984 के इस चुनाव में माँ की हत्या से टूअर हुए बेटे राजीव को सहानुभूति मिली। रेकर्ड मतों से कॉंग्रेस सत्तारूढ़ हुई और 404 सीटों का अधिकतम बहुमत प्राप्त हुआ तथा बीजेपी

मात्र दो सीटों पर सिमट गई। इस चुनाव से पहले इंदिरा की हत्या के रोष में सामाजिक अन्याय हुआ। सिख समुदाय के लोगों को पाशविक यातनाओं का सामना पड़ा। यह स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक समाज का घिनौना पक्ष रहा। जहाज उड़ाने वाला देश चलाने में चूक गया । इस सरकार की उपलब्धि रही कम्प्यूटर क्रांति।

सन 1989 में मंडल कमंडल की राजनीति का फल गैर कांग्रेसी सरकार को सत्ता मिली और राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। ग्यारह माह बाद युवा तुर्क चन्द्र शेखर सिंह ने प्रधानमंत्री पद का दायित्व सम्भाला अठारह महीने बाद पुनः जून 1991 में कांग्रेस की सरकार आयी इस चुनाव में राजीव गांधी की हत्या लिट्टे समर्थकों द्वारा की गई। कांग्रेस को 232 सीटें मिलीं, नरसिम्हा राव बने प्रधानमंत्री तथा 120 सीटें जीत कर बीजेपी मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में रही और 1996 के आम चुनावों में कांग्रेस फिर एक बार सत्ता से बाहर हुई।बीजेपी को161 सीटों पर विजय मिली। कई दलों के गठबंधन में बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री के चुना गया, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण इस्तीफा दिया। भारतीय राजनीति में नैतिकता और शुचिता का यह अकेला उदाहरण है जिसमें प्रधानमंत्री बने रहने के लिये किसी भी प्रकार के जोड़ तोड़ को प्रश्रय देकर सरकार बचाने की बजाय सत्ता छोड़ना उचित माना।

जनता दल के इंद्र कुमार गुजराल प्रधान मंत्री बने और सन 1998 में मध्यावधि चुनाव हुए बीजेपी के नेतृत्व में एन डी ए की सरकार बनी । बीजेपी को 182 सीटें मिलीं और एक बार फिर अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। इंडिया शाइनिंग का नारा, प्रमोद महाजन की भूमिका स्वर्णिम त्रिकोण सड़क योजना और नदियों को जोड़ने की योजना बाजपेयी सरकार की कालजयी उपलब्धि रही। परन्तु सन 2004 के चुनाव में बीजेपी और उसका गठबंधन चुनाव में जीत नहीं पाया। काम करने के बावजूद एनडीए सरकार को चुनावी पराजय मिली क्योंकि बीजेपी और उसकी बौद्धिक निर्देशक संस्था जनता की नब्ज पहचानने में भूल कर गयी।

सन 2004 में मात्र 145 सीटें जीत कर अन्य दलों के समर्थन से कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनी ।सदन में 148 सीटों वाली भाजपा ने विपक्ष की भूमिका निभायी। इस चुनाव में आर्थिक विकास का नया नारा आया। 2009 के चुनाव में आर्थिक विकास के नारे और मंहगाई कम करने को मुद्दा बना कर कांग्रेस ने 206 सीटें जीत कर अन्य दलों के सहारे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व किया और बीजेपी घटकर 116 सीटों पर सिमट गई।

इस बीच सोशलिस्ट, कम्युनिष्ट दलों का भारतीय राजनीति में अस्तित्व घटने लगा और जय प्रकाश नारायण की सामाजिक, आर्थिक,राजनीतिक परिवर्तन की राह दिखाने वाली सम्पूर्ण क्रांति से उदित युवा नेताओं ने जाति आधारित क्षेत्रीय दलों का गठन राजनीतिक आर्थिक विकास और सामाजिक सुरक्षा का मुल्लमम्मा चढ़ाकर किया। राष्ट्रीय जनता दल, समता पार्टी, समाजवादी पार्टी,भारतीय क्रांति दल,तृणमूल कांग्रेस, झामुमो, तेलगुदेशम, बीजेडी को पहले से ही चल रहे द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, आल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सफलता ने नये क्षेत्रीय दलों को राह दिखाई।

सन 1977 से 2014 तक क्षेत्रीय दलों ने केंद्र में सरकार बनाने वाली बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ सत्ता में भागीदारी की।

सन 1984 के बाद पहली बार 2014 में बीजेपी ने अपने अकेले दम पर बहुमत पाया और एनडीए में शामिल दलों के साथ गठबंधन को निभाया। 30 सालों बाद भारतीय राजनीति को एक स्थिर सरकार देने वाली पार्टी मिली।

इस चुनाव का मुद्दा 2004 से 2014 तक रही कांग्रेस नीत यूपीए की सरकार में हुये घोटालों की लंबी फेहरिस्त कोयला घोटाला, कॉमन वेल्थ खेल घोटाला, सरकारी भ्रष्टाचार, बेलगाम अफसरशाही,

चुनावी बांड की के पीछे की मंशा सभी राजनीतिक दलों की नैतिकता की पोल खोलती है और देश की राजनीति में लोकतंत्र को कमजोर करने ,भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का काम है। ऐसे दलों द्वारा लोकतंत्र की रक्षा जैसे शब्द जनता को कहे गये अपशब्द हैं।

माफिया की बढ़त और कोढ़ में खाज का काम किया मंहगाई पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान ने ₹ मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं जो मंहगाई कम कर दूं₹। एक विश्वविख्यात अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री का ऐसा लाचारगी भरा बयान और अच्छे दिन आयेंगे को प्रखर वक्ता नरेंद्र मोदी ने भाजपा के पक्ष से एक बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस सरकार की अकर्मण्यता से अकुलाई त्रस्त जनता ने बीजेपी को निर्णायक जीत दिलाई। कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक जीवन यात्रा में न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई, इसे केवल 44 सीटें मिलीं।

सन 2019 के चुनाव में विकास,सबका विश्वास ,सबका साथ नारे पर जनता ने समर्थन दिया और बीजेपी ने 303 सीटों का आंकड़ा प्राप्त किया।

बीजेपी के पिछले दस सालों के कार्यकाल की समीक्षा करें तो राजनीतिक दृष्टिकोण से स्थिर सरकार के कारण देश में आर्थिक विकास हुआ। विदेश नीति अब तक कि भारत की सबसे सफल विदेश नीति का काल रहा। भारत की साख और पहचान की विश्वसनीयता में वृद्धि हुई। सामाजिक कुरीतियों में सुधार के सफल निर्णय हुये।

श्रीराम मंदिर निर्माण एवम प्राण प्रतिष्ठा आयोजन से बहुसंख्यकों की धार्मिक सुरक्षा देने वाली नीति से समाज में समरसता बढ़ी क्योंकि इस आयोजन में अन्य अल्पसंख्यकों को भी सहभागिता हेतु आमंत्रित किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा पहले से बहुत अधिक सुदृढ़ हुई और राष्ट्रवाद की भावना में वृद्धि हुई। कोविड काल में प्रबंधन उत्तम रहा।

आर्थिक मुद्दे पर सरकार का प्रदर्शन रोजगार के अवसर बनाने और उसके क्रियान्वयन में अपेक्षित स्तर से कम रहा। सरकारी संस्थाओं के निजीकरण और निजी क्षेत्रों को दूसरे दरवाजे से सरकारी संस्थाओं में प्रवेश कराकर सरकार ने नौकरियों के अवसर पैदा किये। परन्तु इससे गुणवत्ता में कमी आयी और भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्प से चलने वाली सरकार ने रोजगार की अपरिपक्व नीतियों के कारण जाने अनजाने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। सरकार की शिकायत निपटान पद्धति कम्प्यूटर का नकाब लगा कर जनता की मुसीबतों की अनदेखी का अचूक साधन है।

चुनावी बांड की के पीछे की मंशा सभी राजनीतिकदलों की नैतिकता की पोल खोलती है और देश की राजनीति में लोकतंत्र को कमजोर करने ,भ्रष्टाचार को कानूनी जामा पहनाने का काम है। ऐसे दलों द्वारा लोकतंत्र की रक्षा जैसे शब्द जनता को कहे गये अपशब्द हैं।

सन 2024 का लोकसभा आम चुनाव क्षेत्रीय दलों की भूमिका को महत्वपूर्ण बना रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को चुनौती देती कांग्रेस पार्टी का हाल बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। यूपीए से इंडी गठबंधन तक कि यात्रा करने वाली कांग्रेस की अनसुनी कर क्षेत्रीय दल अपने अपने हितों की रक्षा को प्राथमिकता देते हैं ।ऐसे मे भाजपा को कोई बड़ी चुनौती नहीं दिखती है। जनता की नब्ज की धड़कन पहचानने में सभी दल किसी न किसी बिंदु पर अतिआत्मविश्वास से भरे हैं। अप्रत्याशित परिणाम छोटी संख्या में ही सही अपेक्षित हैं जनता की नब्ज के लक्षणों के आधार पर।

यह सब एक व्यक्ति की इच्छा शक्ति का परिणाम रहा अथवा भाजपा में सभी के सम्मिलित सहयोग और समर्थक दलों की नेकी इसका विश्लेषण करने पर लगता है कि लोकतंत्र अभी भी बाल्यावस्था में है। आजादी के 77 सालों बाद भी लोकतंत्र युवा नहीं हो पाया है। राजनीतिक रूप से देखा जाय तो विपक्षी दल समाधान विहीन विरोध करते हैं। यही कारण है कि पार्लियामेंट में केवल आरोप प्रत्यारोप का झगड़ा देखने को मिलता है। कोई दिशा दिखाने वाला भाषण नहीं।

सन 1957 में निर्दलीय सांसदों की संख्या 42 थी, इसमें कमी होती चली गयी। यह एक सोंचनीय विषय है, क्या समाज में राजनीतिक गुणात्मक विश्लेषण की चाह घट गयी?

सामाजिक दृष्टिकोण से अब भी तुष्टिकरण की राजनीति हो ही रही है। संविधान की दुहाई और लोकतंत्र की रक्षा के ठेकेदार संविधान की धज्जियां उड़ाते जाति आधारित टिकट देते, जाति आधारित गोलबंदी को प्रश्रय देते।

लोकतंत्र की चिन्ता में दुबले होते नेताओं और उनके राजनीतिक दल जनता पर प्रत्याशी थोपते हैं, ऐसी स्थिति में जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। सभी राजनीतिक दल अपराधियों को टिकट देते हैं, यदि सभी राजनीतिक दल उच्चत्तम न्यायालय में शपथ पत्र दायर कर दें कि राजनीति में अपराधियों को टिकट नहीं देंगे एक बड़ी समस्या का हल हो सकता है। क्या लोकतंत्र की दुहाई देने वाले दलों में यह साहस है? जनता पूछना चाहती है, पूछे किससे?

वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में परिवार वाद, दलबदलुओं को प्रश्रय, चुनाव में धनबल का प्रयोग आम बात हो गयी है। सत्ता प्राप्ति के बाद हर दल संविधान में दी गयी अस्थायी व्यवस्था को जारी रखता है ,सशक्तिकरण नहीं करता उस वर्ग से आने वालों का। नेता को दो साल से कम सजा हुई तो चुनाव लड़ सकता है, साधारण व्यक्ति जो अपने वोट से उसे नेता बनाता है वह सरकारी नौकरी के लिये अयोग्य है। संविधान के नाम पर अनेकों कानूनी विसंगतियों का संग्रहण लोकतंत्र को बौना बनाता है। क्यों नहीं सभी राजनीतिक दल इन विसंगतियों को समाप्त करना चाहते हैं। यह किसी दल की अंदरूनी नीति हो सकती है कि जिस दल से मुक्त करने की बात करता हो उसी दल से युक्त होने को सही ठहराये। पर जनता उसके इस फैसले को सही मान लेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है।

लोकतंत्र में सफलता सिर चढ़ कर बोलती है और व्यक्ति दल से ऊपर शक्ति केंद्र बन जाता है। जिस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में 80 करोड़ लोगों को रियायती राशन देना पड़ता है उसकी कीमत 60 करोड़ जनता वहन करती है या कोई राजनीतिक दल? हम उन 80 करोड़ को स्वावलम्बी बनाने के लिये क्या कर रहे हैं?जबसे देश आजाद हुआ मध्यम वर्ग ने राजनीतिक आर्थिक सामाजिक नैतिकता का बोझ उठाया है और उसी की स्थिति 77 सालों बाद भी सोंचनीय है। अर्थशास्त्र से विकास के गणित की परिभाषा और समाज के निम्न से मध्यम वर्ग के विकास का गणित एक दम भिन्न है। सांख्यकीय गणना हाथी के दाँत है इसमें और वास्तविक गणित में अंतर है।

वैश्विक व्यवस्था और हमारे देश के हितों को ध्यान में रखते हुये भाजपा ने राष्ट्र की सुदृढ़ता के लिये काम किया जिस पर हर भारतवासी को गर्व होगा। आसन्न चुनाव में राजनीतिक दलों द्वारा दिये गये घोषणा पत्र में दायित्ववान होने का कोई आश्वासन नहीं होना, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने के लिये जनप्रतिनिधियों को उत्तरदायी नहीं बनाना और उनके असीमित विशेषाधिकार में कटौती पर कुछ नहीं बोलना खलता है।

ऐसे में लोकतंत्र सशक्तिकरण की दुहाई जनता के साथ खूबसूरत मजाक कहलायेगा जब तक वास्तव में जनप्रतिनिधि खास नहीं आम आदमी के बराबर नहीं हो जायेगा। ऐसा होने पर गारंटी है भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा।

फिर वही नारे नए स्वरूप में जनता को लुभाने को लाये जायेंगे जिनका केंद्र गरीबी, रोजगार, विकास और श्रीराम तो जगत आधार हैं ही तब से हैं जब ये राजनीतिक दल अस्तित्व में भी नहीं थे। गारंटी आसन्न चुनाव में एक नया प्रचलित शब्द है। सभी गारंटी देने वालों की खुद की नैतिकता की गारंटी कौन देगा? लोकतंत्र को बलवान बनाने की योजनाओं की प्रतीक्षा में........अच्छे दिनों की अभिलाषा में आशावान जनता वोट देने के लिये, मतदान करने के लिये उत्साहित है।

हर कोई करे मत का दान ,इसी विश्वास से फिर अगले चुनाव में चकल्लस होगी।

What next After Kejriwal's Arrest

THE DELHI HC HAS HEARD AND RESERVED ITS VERDICT IN THE CASE CONCERNING MR ARVIND KEJRIWAL'S ARREST BY THE DIRECTORATE OF ENFORCEMENT (ED).

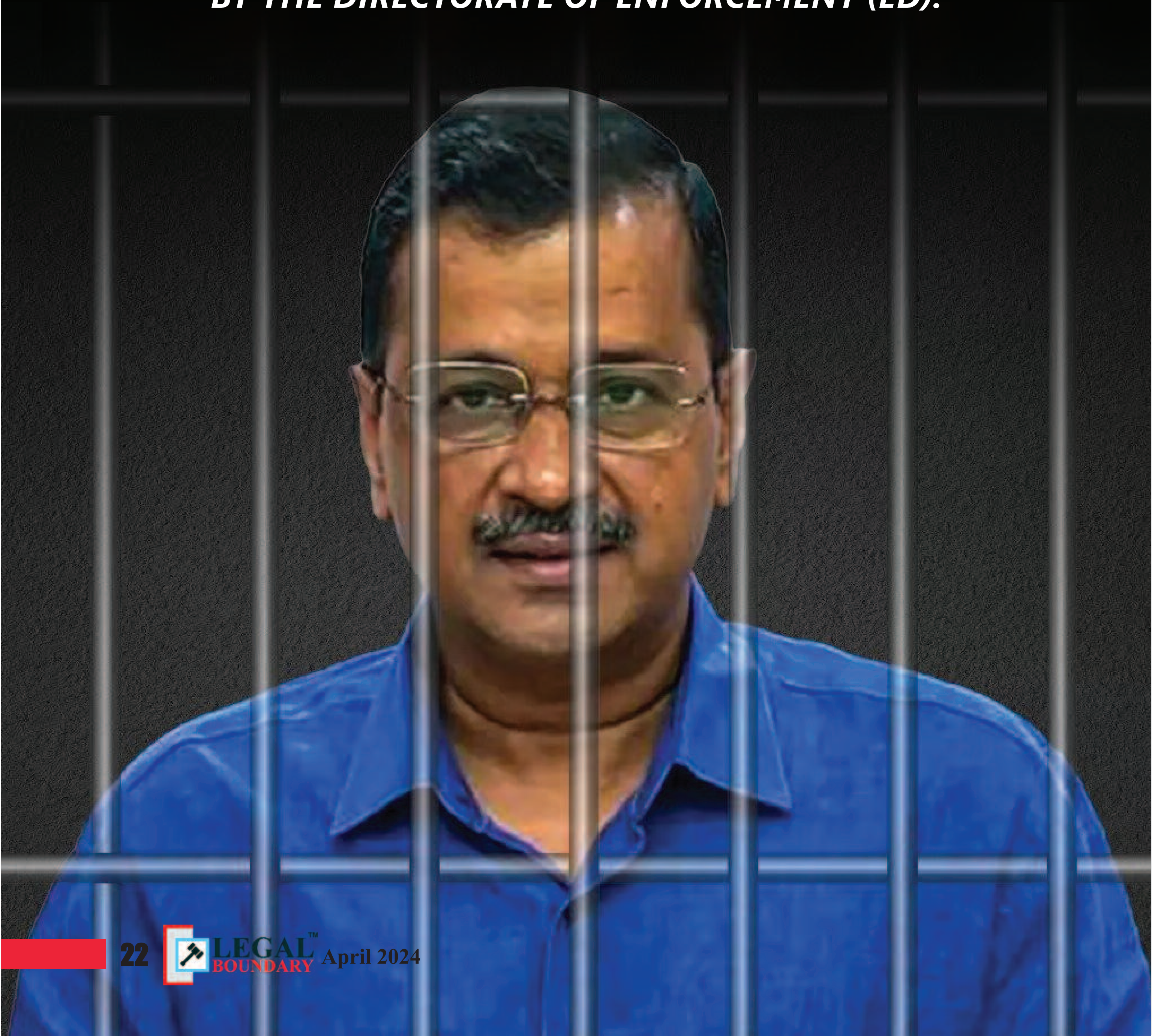

● **By Adv. Sanjay Sonkar**

The sitting Chief Minster's arrest is about a lot of things. In many ways, it marks a flashpoint in a period of continued political decadence in India: arguments regarding unraveling of the level playing field before the Lok Sabha elections have been made, and rightly so. Yet, at the heart of it, this matter remains about the unlawful curtailment of a citizen's liberty on account of stringent laws which do not pass muster with the Constitution. A careful examination of the facts surrounding the Chief Minister's arrest- all of which are available in the public domain- would reveal that there are glaring illegalities in the ED's case, even as per the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) in its current draconian form.

What is more, the ED has not provided cogent answers to fill these gaps in its case put forth before the Delhi High Court.

THE 50-17-19 TRIAD

The scheme of the PMLA envisages a three-fold procedure in case of a potential PMLA offence (offences are delineated in Section 3 of the PMLA Act), which concerns the interplay amongst three of its most crucial provisions: Sections 50, 17 and 19. While Section 50, inter alia, empowers the ED to issue summons, Section 17 confers powers to effect search and seizure. Section 19 deals with the power to arrest. Together, these provisions also read various safeguards in the PMLA, which otherwise makes enlargement on bail virtually impossible.

SECTION 50 SUMMONS

Section 50 is the first stage of the three-fold procedure- it empowers the ED to send a summons bu justice Ms Kaveri Bawaja (room number 512, 5th floor off Rouse Avenue District Court) for the purposes of the PMLA. As has been reported widely, the ED had issued 9 summons to the Chief Minister under Section 50 of the PMLA. These summons were sent over a protracted period of 6 months- the first of such summons was sent in October 2023, and the last summon was sent in mid-March.

A cursory reading of the provision would show that under Section 50(2) of the PMLA, ED has the power to summon any person only for either of the

THE TWO OCTOBER 2023 JUDGMENTS

In October 2023, two judgments- one by the Supreme Court and another by the Delhi High Court- further clarified the scope of Section 50 by reading necessary safeguards into this benign provision of summons. The Delhi High Court ruled that the power to arrest is conspicuously absent in Section 50; the Supreme Court unequivocally held that mere non-cooperation of a witness in response to Section 50 summons would not be enough to necessitate their arrest.

The Delhi CM had challenged the ED summons before the Delhi High Court. On 21 March 2024, when the Delhi High Court refused to grant him any interim relief in the case, the ED was required to issue a fresh summon to the CM; the ED, however, proceeded to search the residence of, and subsequently arrest, the Chief Minister.

This overnight change in legal strategy is where the core of the illegality lies.

two purposes: (i) to give evidence, or (ii) to produce any records during the course of any investigation/proceeding under the PMLA. In Vijay Madanlal Choudhary vs Union Of India on 27 July, 2022 the Supreme Court has characterised the import of Section 50 in the following terms:

Vijay Madanlal makes it abundantly clear that the Section 50 examination is in the nature of an inquiry. It follows, therefore, that:

1. At the Section 50 summons stage, there exists no formal document indicative of the likelihood of involvement of such a person as an accused of the offence of money laundering.

2. Under Section 50, PMLA, the Chief Minister could have been interrogated only in the capacity of a witness for an inquiry, and not in the capacity of an accused.

3. It is only the information and evidence collated during the inquiry under Section 50, which could have disclosed, if at all, the commission of a PMLA offence, and the involvement of such summoned person in the alleged offence.

SECTION 17 SEARCH

On Mar 21, 2024, hours after the Delhi HC's refusal to stay the Section 50 summons, the ED proceeded to search the Chief Minister's residence. Soon after, the CM was arrested. We will come to the arrest later: we first need to examine whether the search conducted by the ED was in compliance with the law.

Section 17 of the PMLA is the second stage of the three-fold mechanism under the PMLA. Per Section 17 of the PMLA, ED can search a person's place only if it has reason to believe, based on 'information' in its possession, that the said person has (i) committed an offence of money laundering; (ii) is in possession of any proceeds of crime involved in money-laundering; and (iii) is in possession of any records relating to money-laundering, or (iv) is in possession of any property related to crime. Where such search results in the recovery of any relevant record or property , the ED is empowered to examine the concerned person for the purposes of an investigation.

Section 17, therefore, is distinct from Section 50 in two significant ways:

1. The ED can proceed U/S 17 only when it has credible 'information' about the commission of an offence, which necessitates a search. The Section 17 threshold is, therefore, higher than the Section 50 threshold.

2. Unlike under Section 50, U/S 17, a person may be examined in the capacity of a witness as well

MANIFEST ILLEGALITY

The sequence of events as aforesaid demonstrates the following:

1. Repeated Section 50 summons over a protracted period of 6 months establish that the Chief Minster was not accused of any alleged PMLA offence.

2. All of a sudden, on 21.03.2024, the ED took a leap to the stage of search of his residence U/S 17, which is a higher threshold than Section 50 and requires credible 'information' as the jurisdictional pre-condition.

3. The basis of this 'information' in the current case is unclear, as the Section 50 stage was abruptly abandoned by the ED, and CM and was never inquired U/S 50.

4. It is not the ED's case that some incriminating material relevant to the alleged offence was recovered from the CM's residence. As such, the search at the CM's house could not have been the basis of his arrest.

5. As Per Section 17 (1) (iv) (f) of the PMLA, it was not open to the ED to even record a statement of the CM without recovery of any relevant record or property, let alone effect an arrest.

6. In arresting the CM, then, the ED has met the high threshold of 'reason to believe' U/S 19 using the very same 'material' basis for which it was sending Section 50 summons for 6 months.

Evidently, the Chief Minister's arrest (and everything that followed, including the remand orders) contravenes the Section 50-17-19 triad safeguards and is in the teeth of the very scheme of the PMLA.

That an elected, sitting chief minister has been jailed with such brazen illegality, is not the subject matter of this blog.

as an accused. In other words, there exists a likelihood of the involvement of such a person as an accused of a PMLA offence.

Basis the 'information' available with it, the ED had issued 9 summons U/S 50 to the CM. The last of such summons was sent on 17 March 2024, merely 4 days before the arrest of the Chief Minister. If the information available with the ED was only sufficient to send a Section 50 summons, a search U/S 17 basis of the same information, with no change in circumstances, would not be sustainable.

The ED, therefore, has to satisfy the test of Section 17 to prove that within a period of 4 days, it got hold of fresh 'information' which necessitated a search of the CM's residence: in the hearings conducted before the Delhi High Court, the ED has not answered this most essential question.

SECTION 19 ARREST

Section 19 is the third and final stage of the three-fold procedure. The ED has the power to arrest U/S 19 only if it has, (i) basis the material in its possession, (ii) a reason to believe that the Petitioner is guilty, of a PMLA offence. It follows, therefore, that:

1. The basis of arrest under the PMLA cannot be mere suspicion or a likelihood of involvement, but guilt- the provision casts an obligation upon the ED to satisfy itself that the allegations against the accused are prima facie true;

2. This satisfaction is to be had basis of the 'material' in the ED's possession, which is clearly a higher threshold than the 'information' requirement at the Section 17 stage.

3. The Section 19 threshold does not permit a person's arrest for a probe in his role/involvement in the alleged offence; on the contrary, Section 19 makes the establishment of his role/involvement- and prima facie guilt- a pre-requisite to the arrest.

This brings us to another important question: what incriminating 'material' did the ED find in a 4-hour search at the CM's residence which helped them establish his prima facie guilt?

The ED did not make this specific disclosure before the Delhi High Court. Reportedly, the ED only recovered INR 70,000 cash and the CM's mobile phone from his residence. The cash recovered was not even seized by the ED. It appears, therefore, that during the intervening period, that is, between the last summon dated 17th March and the CM's arrest- which happened on 21st March, there was no change in the 'material'/'information' in possession with the ED. There was only one change in the third week of March, however: the calling of the Lok Sabha elections.

Adv. Sanjay Sonkar
B.Com(H), LL.B(H), LL.M(NLU)

Jharkhand's Golden Triangle: The Rising Threat of Drug Trafficking

● **By Satya Prakash**

In recent years, Jharkhand has grappled with a concerning trend: Chatra, Hazaribagh, Khunti, Ghumla, and Giridh have been developed as the Golden Triangle of opium cultivation.

The trade of drugs (brown sugar, opium, ganja, Doda, or other intoxicants) is highest in 24 police stations in different districts of the state. From the year 2019 to 2023, a total of 2396 cases were registered under the NDPS Act regarding the recovery of narcotics and psychotropic substances in all the districts of the state.

It is clear that there are 24 police stations in the state in whose area the maximum cases were registered regarding the recovery of Brown Sugar, Opium, Ganja, Doda, or other intoxicants. It is clear from this that the drug trade is most prevalent in these police station areas. Chatra district is at the top of this list. Here, during the said period, the maximum number of cases registered under the NDPS Act was 506, i.e., 21 percent.

In these figures, in the year 2020, there were 170 arrests under the NDPS Act, and in 2021, this figure was 300, whereas in 2022 (till June 31), this figure reached only 76. The recovery of opium decreased from 316 kg in 2020 to 204 kg in 2021 and to only 34 kg in 2022 (till June 31). While in the last two years, more than 30 vehicles were seized every year, in 2022 only 2 vehicles have been seized until June 31.

The Statistics indicate that cases of opium cultivation are decreasing in Chatra, Hazaribagh, Khunti, and Gumla, where the Naxal has influence. Opium cultivation has taken place in dozens of villages in Akta, Argodi, Anidih, Takara, Hatugami, Chukru, Remta, Sadasom, Siladon, and Bhoot, including Adki, Murhu, and other blocks of Khunti district.

The state has a big challenge: the youth have become addicted to drugs and have entered the world of crime to fulfil their drug habit. The children of poor farmers, who earlier used to earn their living by farming and laboring for the glitter of money and royal luxury in the village, are now looking at the youth of their village, who are cultivating opium and roaming around in expensive bikes and four-wheelers. Now that the youth of the village have gotten involved in opium cultivation, those who are not doing farming have to buy and sell opium by becoming agents of opium smugglers.

WHY IS OPIUM CULTIVATED IN JHARKHAND?

Due to the maximum 50 percent forest area in the entire state, such land is easily available to the people for growing opium. Which is neither private property nor easily accessible, which gives them a safe haven for opium cultivators. The team of Legal Boundary checked the facts from Dhodhiya, Duragada, Morniya, Jamuniyatari, Murtiya, Silodar, Ahri, Nawadih, and Danua between the forest plateau of Daihar and ChordahaborderingChauparan block of Hazaribagh district and reveled. In this area, the drug trade has been going on for the last decade by cultivating opium on a large scale. Although police action has been taken against drugs, the police have failed to curb the drug trade.

IS JHARKHAND BECOMING THE

MARKET AND TRADE

The opium grown in the state is transported to the markets in UP, Punjab, and Kolkata by road. There are big businessmen and transporters behind the scenes, but local brokers are employed for smuggling. As soon as opium production begins, the brokers themselves reach the fields. The job of these brokers is to transport opium from here to the markets in UP and Kolkata. After this, big traders transport it to Chennai, Mumbai, and Bangladesh.

According to the police, businessmen from Banaras and Gorakhpur are more involved in this. The Jharkhand High Court has taken it seriously. The division bench of Justice Sujit Narayan Prasad and Justice Arun Kumar Rai took suomotu cognizance of the case and converted it into a public interest litigation. The division bench orally said that the illegal drug trade in the state is worrying. The lives of youth are being ruined due to drug addiction. Addiction is affecting their health. Strict action should be taken against those involved in the drug trade so that this illegal trade can be completely stopped.

NEXT GOLDEN TRIANGLE/GOLDEN CRESCENT (MINI AFGHANISTAN)?

Opium cultivation started in the Chatra area, after which Khunti district became the hub of opium. Due to being a Naxal belt, the police also avoided going to these areas. Opium is cultivated on a large scale, and its flowers and fruits are visible from a distance. Is there a collusion between the police and the forest department in this?

Shekhar Gupta, Resident of Chatra, said that due to the geographical location of Jharkhand, the police are not able to get every important piece of information, due to which opium cultivation in many areas is not destroyed. He also added that Jharkhand's opium became a 'black diamond' for traders, supplied from Europe to Pakistan via Nepal and Bangladesh. Opium plants have grown on 1000 acres in more than 30 villages in Latehar. It is also being cultivated on a large scale in Palamu, Lohardaga, Khunti, and Ramgarh. A cultivator said that 40 kg of opium is produced on one acre of land, and it is sold for Rs 25 thousand per kg in the local market. However, the price in the international market is Rs one lakh per kg. In Chatra and Khunti District only, the crop has been grown on 3 thousand acres, and 1200 quintals of opium will be produced from them.

Vicky Kumar, a Resident ofKoderma, it's disheartening to witness the rampant sale and consumption of substances like brown sugar, opium, ganja, and Doda in our community, particularly in the slum areas and nearby university campus and hostels . Despite the limited agriculture of these substances, they are openly sold and consumed in shops and residences. It's concerning that even the police authorities are aware of these activities, yet little action is taken to address the issue. It's high time for authorities to take decisive steps to curb this menace and ensure the safety and well-being of our community.

नई शुरूआत

वन अर्थ वन हेल्थ का भारतीय दृष्टिकोण

● डेस्क

नई दिल्ली। 'वन अर्थ वन हेल्थ' का नारा बुलंद कर रहा भारत अपने आप में ये बताता है कि भारत कैसे स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को विकसित करने की चाहत रखता है। इसके दर्शन में सभी प्राणियों - मनुष्यों, जानवरों और यहां तक कि पेड़-पौधों के लिए समग्र स्वास्थ्य सुरक्षा और देखभाल शामिल है। इसके अलावा, चिकित्सा उपचार को सस्ता बनाना भी भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हलांकि यह कई लोगों को चौंका भी सकता है, लेकिन सही तथ्य यह है - केवल दो कल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं - 'आयुष्मान भारत' और 'जन औषधि योजनाओं' ने मुख्य रूप से गरीब और मध्यम वर्ग से आने वाले रोगियों के एक लाख करोड़ रुपये से अधिक बचाए हैं। आयुष्मान भारत न केवल नए अस्पतालों के मांग को बढ़ाया है बल्कि नये अस्पताल को खोलने का अवसर भी बढ़ा रहा है। बल्कि संचालन के केंद्र में प्रौद्योगिकी के साथ एक नया और संपूर्ण स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र भी बना रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये पुनर्जीवित प्रयासों ने अत्यधिक संभावित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को एक बड़ा धक्का दिया है, जो आने वाले वर्षों में 10 लाख करोड़ का होने का वादा करता है, अगर निजी क्षेत्र और मेडिकल शिक्षा जगत के बीच उचित समन्वय हो। यहाँ और भी बेहतर होता कि राज्य सरकारों से सही समन्वय बिठा कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भी सुध ली गई होती? ऐसा करने में शायद मौजूदा स्वास्थ्य मंत्रालय विफल रही है। जबकि छोटे स्वास्थ्य केंद्रों पर जाँच की सुविधा को जिला सदर अस्पताल से जोड़ा जा सकता था। स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करना स्वास्थ्य उद्यमियों, निवेशकों और पेशेवरों के लिए एक बड़ा अवसर है। रुपये का आवंटन 2023-24 के केंद्रीय बजट में 89,155 करोड़ रुपये ने भी इस क्षेत्र को नई गति दी है। वास्तव में, कोविड से पहले और बाद की स्थितियों के बीच फोकस में स्पष्ट अंतर है। कार्रवाई

आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किफायती इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र जरूरतमंदों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गांव अभी भी जन औषधि की राह देख रहा है।

में जुटते हुए, भारत केवल उपचार पर ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य कल्याण पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आजादी के बाद कई दशकों तक स्वास्थ्य के लिए एक एकीकृत दीर्घकालिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति को एक तरफ रखते हुए, अब स्वास्थ्य के विषय को केवल स्वास्थ्य मंत्रालय तक सीमित करने के बजाय, पीएम मोदी के तहत संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना, एक ओर बेहतर भविष्य की तरफ इशारा करता है। आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किफायती इलाज को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का प्रयास किया है। 10,000 से अधिक जन औषधि केंद्र जरूरतमंदों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराते हैं। लेकिन गांव अभी भी जन औषधि की राह देख रहा है। पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन न केवल नए अस्पतालों को जन्म दे रहा है, बल्कि एक नया और संपूर्ण स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र भी बना रहा है।

पिछले 10 वर्षों में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में एक तरह की क्रांति जरूर आई है। जिसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जाता है। 2014 की तुलना में स्नातक और स्नातकोत्तर मेडिकल पाठ्यक्रमों में मेडिकल सीटें दोगुनी करते हुए 260 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज स्थापना को लेकर नीतिगत फैसलों में बदलाव की आवश्यकता, और विदेशों में पढ़ रहे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स के लिये भारत के दरवाजे और कैसे आसान हो, इसपर और अधिक काम करने की जरूरत है। हलांकि नवीनतम बजट में नर्सिंग क्षेत्र पर भी बहुत जोर दिया गया है। मेडिकल कॉलेजों के आसपास 157 नर्सिंग कॉलेज, मेडिकल मानव संसाधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। 5G जैसी तकनीकें स्टार्टअप्स के लिए नए अवसर पैदा कर रही हैं। ड्रोन दवा वितरण और परीक्षण सेवाओं में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, पीएलआई योजनाओं पर 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक जैसी पहल से मेडिकल डिवाइस क्षेत्र में 12-14% की वृद्धि देखी गई है। इसके अलावा, आईआईटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक मेडिकल, उद्योग-अकादमिक और सरकारी सहयोग जैसे पाठ्यक्रम शुरू करना भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ बांकी है। हलांकि हमने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के इंफ्रा को ना बढ़ाते हुए एम्स जैसे संस्थानों में वाह्य रोगी सेवा पर जरूरत से ज्यादा जोड़ दिया, जबकि एम्स की पहचान एक उत्तम शोध संस्थान के रूप में रही है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एम्स ने ग्रोथ और विकास पर आयोडीन की कमी के प्रभाव को परिभाषित किया है, विशेष रूप से मानव भ्रूण में मस्तिष्क के विकास में थायरोक्सिन की भूमिका। एम्स में किए गए प्रयोगशाला और क्षेत्रीय अध्ययनों ने 1986 में भारत सरकार के 'यूनिवर्सल साल्ट आयोडाइजेशन प्रोग्राम' का मार्ग प्रशस्त किया। जिसमें हर कॉमनमैन को प्रभावित किया। जबकि WHO SEARO की क्षेत्रीय निदेशक, पूनम खेत्रपाल सिंह मानती हैं कि 'एम्स चिकित्सा अनुसंधान में अग्रणी योगदानकर्ताओं में से एक है। स्वास्थ्य में निवेश कोई लागत नहीं बल्कि एक निवेश है। महामारी ने हमें दिखाया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य में निवेश करना सतत विकास को बढ़ावा देने और सुरक्षित करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है'।

जबकि निवारक स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता पर सरकार के प्रयास जैसे स्वच्छता के लिए स्वच्छ भारत अभियान, धूम्रपान से संबंधित बीमारियों के लिए उज्ज्वला योजना, जलजनित बीमारियों से निपटने के लिए जल जीवन मिशन, एनीमिया और कुपोषण को दूर करने के लिए राष्ट्रीय पोषण मिशन, मोटे अनाज पर ध्यान केंद्रित करना- श्री अन्ना, पीएम मातृ वंदना योजना, मिशन इंद्रधनुष, योग, फिट इंडिया मूवमेंट और प्राकृतिक चिकित्सा, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणाली जिसमें आयुर्वेद भी शामिल है, पर बढ़ता फोकस ने लोगों को बीमारियों से बचाया है।

सरकार के ये सभी उपाय निश्चित रूप से लोगों के लिए एक नया युग की शुरूआत है और दुनिया के सामने स्वास्थ्य को लेकर भारत का एक दृष्टिकोण भी। जिसे प्रधानमंत्री के पहले के एक संबोधन में समझा जा सकता है। जिसमें प्रधान मंत्री ने दुनिया भर के स्वास्थ्य मंत्रियों और पश्चिम एशिया, सार्क, आसियान और अफ्रीकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। एक भारतीय ग्रंथ का हवाला देते हुए कहा, जिसका अनुवाद है 'हर कोई खुश हो, हर कोई बीमारियों से मुक्त हो, हर किसी के साथ अच्छी चीजें हों, और कोई भी दुःख से पीड़ित न हो', प्रधान मंत्री ने देश की समावेशी दृष्टि पर प्रकाश डाला और उल्लेख किया कि भारत की दृष्टि स्वास्थ्य तब भी सार्वभौमिक था जब हजारों साल पहले कोई वैश्विक महामारी नहीं थी। उन्होंने रेखांकित किया कि वन अर्थ वन हेल्थ समान मान्यताओं का पालन करता है और कार्रवाई में समान विचार का एक उदाहरण है। 'हमारी दृष्टि केवल मनुष्यों तक ही सीमित नहीं है। बल्कि हर प्रणियों के लिए एक सुंदर पृथ्वी भी। यानी 'वसुधैव कुटुंबकम' के भारतीय दर्शन जिसका अर्थ है दुनिया एक परिवार है। जहाँ हर कोई स्वस्थ्य हो।

INDIA

GENERAL ELECTION 2024

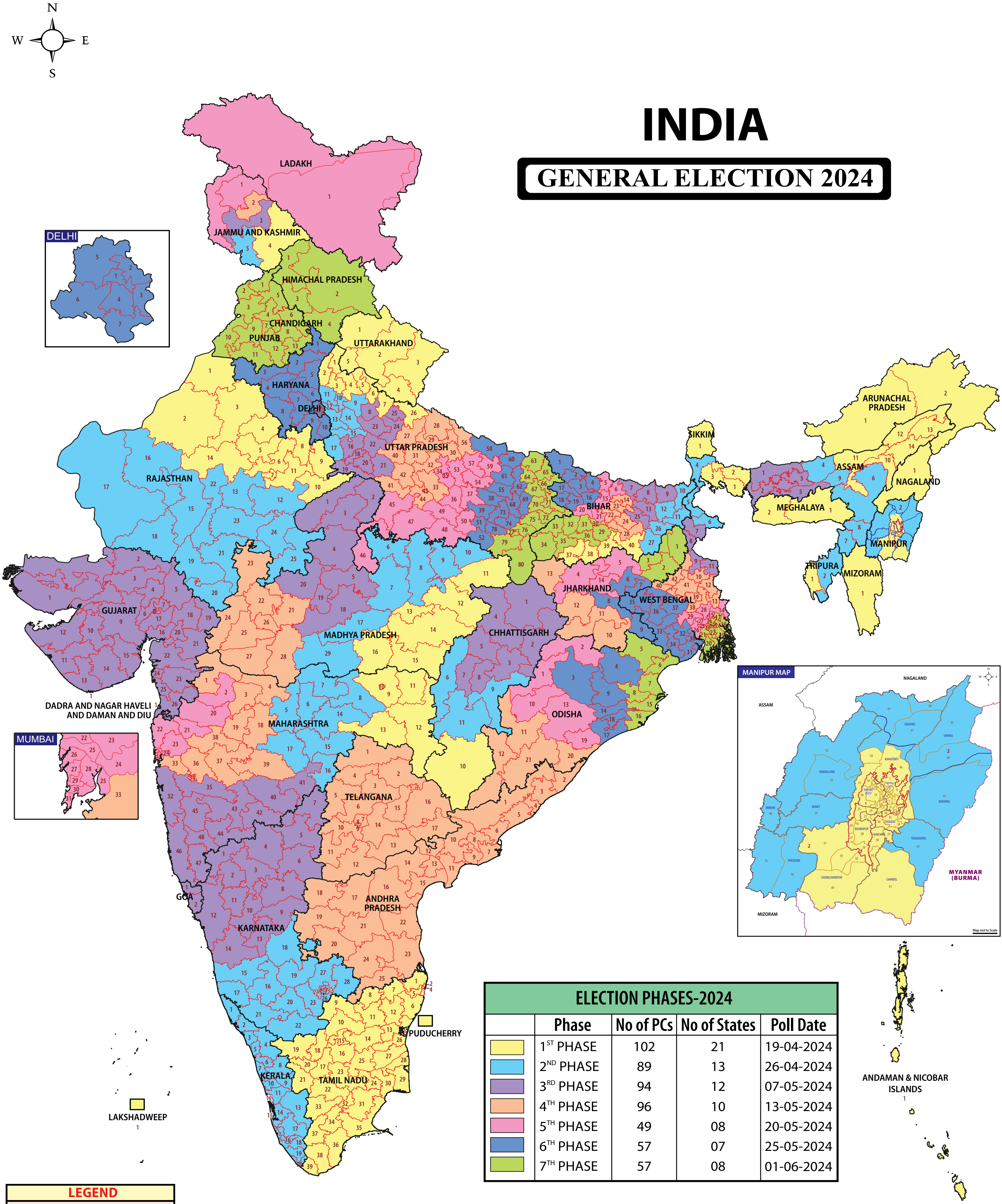

ELECTION PHASES-2024

Phase	No of PCs	No of States	Poll Date
1ST PHASE	102	21	19-04-2024
2ND PHASE	89	13	26-04-2024
3RD PHASE	94	12	07-05-2024
4TH PHASE	96	10	13-05-2024
5TH PHASE	49	08	20-05-2024
6TH PHASE	57	07	25-05-2024
7TH PHASE	57	08	01-06-2024

LEGEND

- State / UT Boundary
- Parliamentary Boundary
- District Boundary

ELECTION COMMISSION OF INDIA
GENERAL ELECTIONS - 2024
NUMBER OF VOTING ON DIFFERENT POLLING DATES IN STATES & UNION TERRITORIES

State/UT	No. of PCs	Poll Day No/ Date of Poll / Day of the week						
		1	2	3	4	5	6	7
		19 Apr 2024	26 Apr 2024	07 May 2024	13 May 2024	20 May 2024	25 May 2024	01 June 2024
		Friday	Friday	Tuesday	Monday	Monday	Saturday	Saturday
Andhra Pradesh	25				25			
Arunachal Pradesh	2	2						
Assam	14	5	5	4				
Bihar	40	4	5	5	5	5	8	8
Chhattisgarh	11	1	3	7				
Goa	2			2				
Gujarat	26			26				
Haryana	10						10	
Himachal Pradesh	4							4
Jharkhand	14				4	3	4	3
Karnataka	28		14	14				
Kerala	20		20					
Madhya Pradesh	29	6	7	8	8			
Maharashtra	48	5	8	11	11	13		
Manipur	2	2	1					
Meghalaya	2	2						
Mizoram	1	1						
Nagaland	1	1						
Odisha	21				4	5	6	6
Punjab	13							13
Rajasthan	25	12	13					
Sikkim	1	1						
Tamil Nadu	39	39						
Telangana	17				17			
Tripura	2	1	1					
Uttar Pradesh	80	8	8	10	13	14	14	13
Uttarakhand	5	5						
West Bengal	42	3	3	4	8	7	8	9
Andaman and Nicobar Islands	1	1						
Chandigarh	1							1
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu	2			2				
Jammu and Kashmir	5	1	1	1	1	1		
Ladakh	1					1		
Lakshadweep	1	1						
NCT of Delhi	7						7	
Puducherry	1	1						
Total PCs	***543***	***102***	***89***	***94***	***96***	***49***	***57***	***57***
No. of States/UTs on each Poll Day		***21***	***13***	***12***	***10***	***8***	***7***	***8***
Date of Counting of Votes	***04.06.2024***							

No. of States and UTs going to poll in	***States/UTs***
Single poll date	**22**
Two poll dates	**4**
Three poll dates	**2**
Four poll dates	**3**
Five poll dates	**2**
Seven poll dates	**3**
Total	***36***

ELECTION COMMISSION OF INDIA
GENERAL ELECTIONS - 2024
POLL DAYS & CORRESPONDING SCHEDULE FOR FOUR STATE LEGISLATIVE ASSEMBLY ELECTIONS

Sl. No	Poll Event	ANDHRA PRADESH	ODISHA				SIKKIM	ARUNACHAL PRADESH
		Poll Day						
		1	***1***	***2***	***3***	***4***	***1***	***1***
		Phase-4	*Phase-4*	*Phase-5*	*Phase-6*	*Phase-7*	*Phase-1*	*Phase-1*
1	Announcement & Issue of Press Note	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**
2	Issue of Notification	**18 Apr 2024 (Thursday)**	**18 Apr 2024 (Thursday)**	**26 Apr 2024 (Friday)**	**29 Apr 2024 (Monday)**	**07 May 2024 (Tuesday)**	**20 Mar 2024 (Wednesday)**	**20 Mar 2024 (Wednesday)**
3	Last Date for filing Nominations	**25 Apr 2024 (Thursday)**	**25 Apr 2024 (Thursday)**	**03 May 2024 (Friday)**	**06 May 2024 (Monday)**	**14 May 2024 (Tuesday)**	**27 Mar 2024 (Wednesday)**	**27 Mar 2024 (Wednesday)**
4	Scrutiny of Nominations	**26 Apr 2024 (Friday)**	**26 Apr 2024 (Friday)**	**04 May 2024 (Saturday)**	**07 May 2024 (Tuesday)**	**15 May 2024 (Wednesday)**	**28 Mar 2024 (Thursday)**	**28 Mar 2024 (Thursday)**
5	Last date for withdrawal of Candidature	**29 Apr 2024 (Monday)**	**29 Apr 2024 (Monday)**	**06 May 2024 (Monday)**	**09 May 2024 (Thursday)**	**17 May 2024 (Friday)**	**30 Mar 2024 (Saturday)**	**30 Mar 2024 (Saturday)**
6	**Date of Poll**	**13 May 2024 (Monday)**	**13 May 2024 (Monday)**	**20 May 2024 (Monday)**	**25 May 2024 (Saturday)**	**01 June 2024 (Saturday)**	**19 Apr 2024 (Friday)**	**19 Apr 2024 (Friday)**
7	Date of Counting of Votes	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**
8	Date before which the election shall be Completed	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**
	Number of ACs in each Schedule	***175***	***28***	***35***	***42***	***42***	***32***	***60***

ELECTION COMMISSION OF INDIA
GENERAL ELECTIONS - 2024
POLL DAYS & CORRESPONDING SCHEDULE (LOK SABHA)

Sl. No.	Poll Event	Poll Day								
		Phase - 1		***Phase - 2***		***Phase - 3***	***Phase - 4***	***Phase - 5***	***Phase - 6***	***Phase - 7***
		Schedule-1		*Schedule-2*		*Schedule-3*	*Schedule-4*	*Schedule-5*	*Schedule-6*	*Schedule-7*
		1A	1B (Only Bihar)	2A	2B (Only J&K)					
1	Announcement & Issue of Press Note	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**	**16 Mar 2024 (Saturday)**
2	Issue of Notification	**20 Mar 2024 (Wednesday)**	**20 Mar 2024 (Wednesday)**	**28 Mar 2024 (Thursday)**	**28 Mar 2024 (Thursday)**	**12 Apr 2024 (Friday)**	**18 Apr 2024 (Thursday)**	**26 Apr 2024 (Friday)**	**29 Apr 2024 (Monday)**	**07 May 2024 (Tuesday)**
3	Last Date for filing of Nominations	**27 Mar 2024 (Wednesday)**	**28 Mar 2024 (Thursday)**	**04 Apr 2024 (Thursday)**	**04 Apr 2024 (Thursday)**	**19 Apr 2024 (Friday)**	**25 Apr 2024 (Thursday)**	**03 May 2024 (Friday)**	**06 May 2024 (Monday)**	**14 May 2024 (Tuesday)**
4	Scrutiny of Nominations	**28 Mar 2024 (Thursday)**	**30 Mar 2024 (Saturday)**	**05 Apr 2024 (Friday)**	**06 Apr 2024 (Saturday)**	**20 Apr 2024 (Saturday)**	**26 Apr 2024 (Friday)**	**04 May 2024 (Saturday)**	**07 May 2024 (Tuesday)**	**15 May 2024 (Wednesday)**
5	Last date for withdrawal of Candidature	**30 Mar 2024 (Saturday)**	**02 Apr 2024 (Tuesday)**	**08 Apr 2024 (Monday)**	**08 Apr 2024 (Monday)**	**22 Apr 2024 (Monday)**	**29 Apr 2024 (Monday)**	**06 May 2024 (Monday)**	**09 May 2024 (Thursday)**	**17 May 2024 (Friday)**
6	**Date of Poll**	**19 Apr 2024 (Friday)**		**26 Apr 2024 (Friday)**		**07 May 2024 (Tuesday)**	**13 May 2024 (Monday)**	**20 May 2024 (Monday)**	**25 May 2024 (Saturday)**	**01 June 2024 (Saturday)**
7	Date of Counting of Votes	**04 June 2024 (Tuesday)**		**04 June 2024 (Tuesday)**		**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**	**04 June 2024 (Tuesday)**
8	Date before which the election shall be Completed	**06 June 2024 (Thursday)**		**06 June 2024 (Thursday)**		**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**	**06 June 2024 (Thursday)**
	Number of PCs	***102***		***89***		***94***	***96***	***49***	***57***	***57***
	No. of States/UTs in each Schedule	***21***		***13***		***12***	***10***	***8***	***7***	***8***

राजनीति

यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का नया आयाम

मुख्यमंत्री कहते हैं कि "राजनीति का अपराधीकरण तंत्र में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन हमने राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देने का संकल्प ले रखा है। हम किसी को भी अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। डबल इंजन सरकार पूरे संकल्प के साथ इस दिशा में काम करती है।

● **डेस्क**

निजी नर्सिंग कालेजों में नर्सिंग और सहायक नर्सेज, एण्ड मिडवाइफ (एएनएम) का प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक विशेष सुविधा दी है। नर्स और एएनएम अस्पतालों की महत्वपूर्ण अंग हैं और कितने ही युवा इनसे रोजगार की उम्मीद लगाये रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब नर्सिंग और एएनएम को सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण का अवसर प्रदान किया है। यूपी के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याणस विभाग के महानिदेशक प्रशिक्षण डा. नरेन्द्र अग्रवाल ने गत 17 मार्च को इस प्रकार का आदेश जारी किया है। प्रदेश में एएनएम दो वर्षीय कोर्स के 403 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां 16930 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार जीएनएम तीन वर्षीय कोर्स के लिए 387 प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जहां 17924 युवा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और बीएससी नर्सिंग के चार वर्षीय कोर्स 387 प्रशिक्षण केन्द्र हैं जहां 11750 युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस प्रकार 50 हजार से ज्यादा नर्सिंग प्रशिक्षुओं को सरकारी अस्पतालों में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। प्रदेश में स्वस्थ्य सेवाओं में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विशेष प्रयास किये हैं। गत दिनों (16 मार्च) गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि यूपी पहले दवाओं का उपभोक्ता था लेकिन अब उत्पादक और निर्यातक बनेगा। यूपी ने मेडिकल कालेजों की स्थापना का भी एक रिकार्ड बनाया है। प्रदेश में विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन होता ही रहता है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों गोरखपुर में कहा कि उत्तर प्रदेश पहले दवा क्षेत्र का उपभोक्ता था लेकिन अब यह दवाओं का उत्पादक और निर्यातक बनेगा। योगी आदित्यनाथ ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) में 24.69 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली फामेर्सी बिल्डिंग के शिलान्यास एवं स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 4000 विद्यार्थियों के टैबलेट अथवा स्मार्टफोन वितरण समारोह में यह बात कही। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश औषधि क्षेत्र में पहले उपभोक्ता राज्य था। दवाएं व अन्य जरूरी मेडिकल उत्पाद बाहर से आते थे। अब यूपी औषधि क्षेत्र का उत्पादक और निर्यातक बन जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य सरकार ललितपुर में 2000 एकड़ क्षेत्र में फार्मा पार्क बना रही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क भी बन रहा है। इस परियोजना के दूरगामी परिणामों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने

कहा कि इससे दवाओं के क्षेत्र में युवाओं को भी व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।

योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज से सात साल पहले भी उप्र में सबकुछ था लेकिन आगे बढ़ने के संकल्प का अभाव था। प्रदेश वही है, लोग वही हैं, मशीनरी भी वही है लेकिन कार्य संस्कृति बदली तो परिणाम सबके सामने है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश नया और बदला हुआ प्रदेश नजर आता है। यह प्रगति और निवेश का प्रदेश बन गया है। यहां हरेक क्षेत्र में पर्याप्त अवसर और आगे बढ़ने की संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, श्जहां चुनौतियां होंगी, वहां संभावनाएं भी होती हैं। संभावनाओं और अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री कहते हैं कि ''राजनीति का अपराधीकरण तंत्र में सबसे बड़ी बाधा थी। लेकिन हमने राजनीति का अपराधीकरण नहीं होने देने का संकल्प ले रखा है। हम किसी को भी अपने नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। जो भी युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा, उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। डबल इंजन सरकार पूरे संकल्प के साथ इस दिशा में काम करती है।

उत्तर प्रदेश में कुल 35 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से 13 नए मेडिकल कॉलेज हैं, जो 2023-24 सत्र से शुरू हुए। इन नए मेडिकल कॉलेजों में 1000 एमबीबीएस सीटें हैं।

उत्तर प्रदेश में 59 जिलों में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 सरकारी और 30 निजी हैं। 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है और लखनऊ जैसे जिले हैं जहां छह से अधिक हैं। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराई जा रही है। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों को इसका सख्ती से पालन कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐसे में न सिर्फ मातृभाषा को बढ़ावा मिलेगा बल्कि ऐसे विद्यार्थी जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं या उनकी अंग्रेजी कमजोर है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। एमबीबीएस कोर्स की हिंदी में भी किताबें हैं, लेकिन ज्यादातर मेडिकल कॉलेजों में अंग्रेजी में ही लेक्चर दिया जाता है। अब चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक की ओर से सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिए जाने के बाद यहां शिक्षकों को हिंदी में पढ़ाई करानी होगी। कई बार अंग्रेजी में कमजोर होने के कारण विद्यार्थी पाठ्यक्रम को ढंग से समझ नहीं पाते और वह फेल हो जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा वह आराम से पढ़ाई कर सकेंगे और हिंदी भाषा में ही परीक्षा में सवालों का जवाब भी दे सकेंगे। उत्तर प्रदेश में फरवरी 2023 को हुई इन्वेस्टर समिट के दौरान मेसर्स क्यू लाइन बायोटेक प्रालि (पीओसीटी) ग्रुप द्वारा यूपी में निवेश करने की बात कही गई थी। अब इसी क्रम में मेसर्स क्यू लाइन बायोटेक प्रा. लि. द्वारा लखनऊ में मेडिकल डिवाइस बनाने की यूनिट लगाई गई है। लखनऊ क्षेत्र में चिकित्सकीय उपकरणों के निर्माण की यूनिट ने उत्तर प्रदेश को भारत में एक विशेष स्थान प्रदान कराया है।

यूपी की योगी सरकार के विकास परियोजना के प्रोत्साहन स्वरूप आत्मनिर्भर प्रदेश की दिशा में उद्योगों की स्थापना और संचालन किए जा रहे हैं। यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना इन्वेस्टर समिट के तहत निवेश परियोजना के अंतर्गत मेसर्स क्यू लाइन बायोटेक प्रा लि (पीओसीटी) ग्रुप द्वारा मेडिकल डिवाइस यूनिट की स्थापना लखनऊ में हुई है। यूपी में हुए ग्लोबल इनवेस्टर समिट के दौरान मेसर्स क्यू लाइन बायोटेक प्रा लि (पीओसीटी) ग्रुप द्वारा 500 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का वादा किया था।

यूपी के लखनऊ में मेडिकल डिवाइस बनाने की यूनिट लगी है जिसके पहले चरण में 200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। मेसर्स क्यूलाइन बायोटेक प्रालि और मेसर्स एलीटेक ग्रुप की तरफ से स्ट्रेटीजिकल कोलैबोरेशन करके विश्व स्तरीय उपकरणों के निर्माण उद्योग का निरीक्षण और संतोषजनक किया गया जिसके क्रम में प्रथम चरण में 200 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। मेसर्स क्यूलाइन बायोटेक प्रालि (पीओसीटी) ग्रुप लखनऊ और मेसर्स एलीटेक ग्रुप की तरफ से स्ट्रेटीजिकल कोलैबोरेशन करके आज दिनांक 06।12।2023 को विश्व स्तरीय उपकरणों के निर्माण उद्योग का निरीक्षण और संतोषजनक सत्यापन किया गया है। इस निरीक्षण समारोह में एलीटेक ग्रुप के कई प्रमुख अधिकारी भी उपस्थित थे। इस निर्माण उद्योग की स्थापना से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की आत्मनिर्भर भारत की योजना के अंतर्गत अवाम को रोजगार सृजन और क्षेत्र विकास में देश और प्रदेश को बहुतायत रूप से सहायता प्राप्त है। इसके साथ-साथ नए भारत निर्माण में एक अनुकरणीय स्थान भी प्राप्त होगा। (हिफी)

राजनीति

कर्नाटक का जजिया कर !

● **मनोज कुमार अग्रवाल**

हाल ही में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने विधानसभा में विधेयक पारित कर मंदिरों पर 10 प्रतिशत तक कर लगा दिया है। राज्य के मुख्य विपक्षी दल भाजपा के साथ-साथ साधु-संतों ने इस कर का भारी विरोध किया है और इसे मुगल शासन में लागू जजिया कर जैसा बताया है। आपको बता दें कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जहां अपने ही देश के मूल बहुसंख्यक नागरिकों के धार्मिक पूजा स्थलों पर इस तरह से कर की व्यवस्था लागू

की गई है। हालांकि कर्नाटक सरकार ने यह कर लगाने के पीछे कई तर्क दिए हैं। लेकिन इससे राज्य सरकार और कांग्रेस की काफी किरकिरी हो रही है।

कर्नाटक में मंदिरों पर कर लगाने को लेकर सियासी बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल, राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई करने वाले मंदिरों पर 10 फीसदी सालाना टैक्स का प्रावधान कर दिया है। वहीं, 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक की कमाई करने वाले कर्नाटक के मंदिरों को अपनी सालाना आय का 5 फीसदी टैक्स भुगतान करना होगा मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने इसे कांग्रेस सरकार की ओर से लगाया गया जजिया कर करार दिया है। वहीं, राज्य बीजेपी के कुछ नेताओं ने इसे मंदिरों से चैथ वूसली जैसा बताया है। कर्नाटक की मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने राज्य के मंदिरों पर 5 और 10 फीसदी टैक्स किस कानून के तहत लगाया है। दरअसल, कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से कर वसूली के लिए एक विधेयक विधानसभा में पारित कराया है। इस नए बिल को लेकर ही कर्नाटक में राजनीतिक बबाल पैदा हो गया है। राज्य सरकार ने बुधवार को 'हिंदू धार्मिक संस्थाएं और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024ह्र को विधानसभा में पारित कराया। भाजपा ने कर्नाटक में सत्तारूढ़ दल पर मंदिरों के पैसों से अपना 'खाली खजानाह्र भरने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। बीजेपी नेता राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक विधानसभा में पारित विधेयक को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ऐसा करके राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी एक नये निचले स्तर तक गिर गई है।

कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने आरोपों के जवाब में कहा कि भाजपा नेताओं के आरोप निराधार हैं। वे जनता को गुमराह करने और राजनीतिक लाभ के लिए सांप्रदायिक आधार पर लोगों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1997 में अधिनियम लागू होने के बाद से हमेशा एक सामान्य पूल बनाने का आदेश दिया गया है। सामान्य पूल का

प्रबंधन केवल हिंदू धर्म से जुड़े धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विधेयक का उद्देश्य 'एह्र कैटेगरी के मंदिरों के अधिकार क्षेत्र में तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सुरक्षा उपलब्ध करना है।

वहीं आपको बता दें इतिहास में दर्ज है कि जब विदेशी कट्टरपंथी मुगल आक्रांताओं ने भारत पर हमला कर बड़े भूभाग पर अपना राज स्थापित कर लिया तब 11वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली का तख्त संभाला और जजिया कर लागू कर दिया। जजिया कर का अर्थ है मुस्लिम राज में गैर-मुस्लिमों पर पूजा-पाठ या अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए कर लाद देना। इतिहास में दर्ज है कि भारत में मुगल आक्रांता हिन्दुओं से यह कर वसूल कर मुस्लिमों को फायदा पहुंचाने के लिए उपयोग करते थे। खिलजी ने इसे कानून बनाकर अनिवार्य कर दिया था। जब मुहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान

बना, तो पूरे भारत में हमले कर खजाना खाली कर दिया। जब नाकाम हो गया तो खजाना भरने के लिए हिन्दुओं पर जजिया कर लाद दिया। हालांकि, विदेशी आक्रांताओं की तीसरी पीढ़ी के शासक अकबर ने इस कर को हटा दिया था, किन्तु छठे सबसे क्रूर मुगल शासक औरंगजेब ने इसे 1679 में पुनः लागू कर दिया। जजिया कर न चुकाने वाले ब्राह्मणों व अन्य हिन्दुओं को कोड़ों से पीटा

जाता था, यहां तक कि कई बार इस अनाचार से उनकी जान भीचली जाती थी।

अब कर्नाटक की मौजूदा कांग्रेस सरकार ने हिन्दू मंदिरों से कर वसूलने वाला विधेयक पारित किया है। इसके तहत किसी मंदिर की आय 1 करोड़ रुपये है, तो उसे 10 फीसद और यदि मंदिर की आय 1 करोड़ से कम और 10 लाख से अधिक है तो उसे 5 फीसद टैक्स सरकार को देना होगा। इसे कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती विधेयक 2024 नाम दिया गया है। विपक्षी दलों के साथ-साथ कई साधु-संतों ने भी इसका वरोिध किया है और इसे कांग्रेस का जजिया कर बताया है। हालांकि, कांग्रेस ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा है कि राज्य में 40 से 50 हजार पुजारी हैं जिनकी सरकार मदद करना चाहती है। साथ ही, आरोपों का खंडन करते हुए सरकार ने कहा कि यह प्रावधान 2003 से अस्तित्व में है। हमने सिर्फ स्लैब बदला है।

एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के सरकारी विभाग मुजराई के अधीन 35 हजार से अधिक मंदिर आते हैं। इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी में वे 205 मंदिर हैं, जिनकी आय 25 लाख रुपये वार्षिक से अधिक है, इनमें से कुछ की आय करोड़ों में भी है। दूसरी श्रेणी में वे 193 मंदिर आते हैं जिनकी आय 5 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच मानी जाती है। अन्य लगभग 34 हजार मंदिरों की आय 5 लाख रुपये वार्षिक से कम है।

विपक्षी दलों के साथ-साथ साधु-संत इसे जजिया कर इसलिए बता रहे हैं, क्योंकि हिन्दू मंदिरों के अलावा न तो मस्जिदों पर और न ही चर्चों या गुरुद्वारों पर ऐसा कोई कर लगाया गया है। स्पष्ट रूप से यह केवल हिन्दुओं के धार्मिक स्थलों पर लगाया गया कर है। किन्तु सरकार ने कहा है कि वह तो अन्य धार्मिक संस्थाओं को दान देने, पुजारियों को प्रशिक्षण देने, वेद पाठशालाओं व अन्य हिन्दू शास्त्र शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा हिन्दू अनाथालयों की स्थापना आदि के लिए यह कर लगा रही है। कर्नाटक सरकार के संबंधित मंत्री का कहना है कि इन कार्यों के लिए सरकार को 7-8 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, इसीलिए कर लगाया गया है। यहीं सरकार की नीयत पर संदेह होता है। क्या कर्नाटक सरकार की माली हालत इतनी कमजोर है कि वह हिन्दुओं पर 8-10 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए मंदिरों पर टैक्स लगा रही है? आरोप है कि एक तरफ तो यह वही सरकार है जो हर घर को मुफ्त बिजली और महिलाओं को मुफ्त पविरहन सेवा के वायदे कर सत्ता में आई है। जब वोट लेने के लिए सरकारी कोष का इस्तेमाल किया सकता है तो हिन्दुओं से दोहरा बर्ताव करने का फामूर्ला लागू करना अपरिहार्य तो नहीं है वास्तव में राज्य सरकार का यह कदम निहायत गैरजिम्मेदाराना है।

कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के इस कदम को न सिर्फ कर्नाटक वरन देश भर में कांग्रेस की दोहरी व हिन्दू विरोधी मानसिकता बतौर समझा जा सकता हैऔर लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा कांग्रेस की रीति नीति पर सवाल बन रहा है।

ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति

● रूचि शर्मा

चुनाव को युद्ध और प्रेम की तरह लडा जाता है। इसीलिए सभी हथकंडे जायज माने जाते हैं। लक्ष्य सिर्फ सीट जीतने का रहता है। इसीलिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस और वामपंथी दलों को किनारे करते हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बार के चुनाव में भाजपा ने संदेश खाली की घटना को मुद्दा बनाया है। इस मुद्दे पर कांग्रेस और सीपीएम ममता बनर्जी का साथ नहीं दे सकते। हालांकि सीएए ऐसा मामला है जिस पर कांग्रेस और सीपीएम साथ दे रहे हैं। इसके बावजूद इसी साल जनवरी से ही एकला चलो का राग अलापने वाली मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने 10 मार्च को 42 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मी-दवारों के नाम की घोषणा कर दी। ममता ने उसी दिन रैली में कहाए बंगाल में लड़ाई बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच होगी। हम कांग्रेस और सीपीएम का विरोध जारी रखेंगे। उत्तर प्रदेश में एक सीट पर लड़ने के लिए सपा नेता अखिलेश यादव के साथ बातचीत चल रही है।

अपनी चुनावी रणनीति के तहत ही ममता ने अपनी सूची में कई युवा चेहरों को शामिल कर एक संदेश भी देने का प्रयास किया है लेकिन सूची में सबसे चैंकाने वाला नाम क्रिकेटर यूसुफ पठान का है। उनको मुर्शिदाबाद जिले की बरहमपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। यह कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही है। अधीर रंजन चैधरी इस सीट पर लगातार पाँच बार जीत चुके हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी से मिली कड़ी चुनौती के बावजूद वो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी होने के बाद कांग्रेस के साथ तालमेल के दरवाजे संभवतः बंद हो चुके हैं।

तृणमूल कांग्रेस ने पहली बार ब्रिगेड परेड मैदान से जारी उम्मीदवारों की सूची में कई युवा चेहरों को तरजीह दी है। पार्टी ने 12 ऐसे उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा है जो विधायक हैं। अनुमान के मुताबिक दो अभिनेत्रियोंए नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को टिकट नहीं दिए गए हैं। वैसे मिमी ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हैं। पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 17 महिलाओं को टिकट दिया था, लेकिन इस बार महिलाओं की तादाद 12 ही है। हालांकि हाल में पार्टी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कम से कम आधी सीटों पर महिला उम्मी-दवारों को टिकट देने की बात कही थी। आसनसोल सीट पर उपचुनाव जीतने वाले अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया हैए लेकिन इस सूची में सबसे चैंकाने वाला नाम क्रिकेटर यूसुफ पठान का है। उनको कांग्रेस और खासकर अधीर चैधरी का गढ़ समझी जाने वाली मुर्शिदाबाद की बरहमपुर सीट से मैदान में उतारा गया है।

इसी तरह हाल में लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित महुआ मोइत्रा को दोबारा उनकी पुरानी कृष्णनगर सीट से ही टिकट दिया गया है। तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी से नाता तोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले तीन नेताओं विश्वजी और मुकुटमणि अधिकारी को क्रमशः बनगांव, रायगंज और रानाघाट सीट से टिकट दिया है। भाजपा विधायक रहे मुकुटमणि तो दो दिन पहले ही तृणमूल में शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओरए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चैधरी ने कहा कि ममता ने साबित कर दिया है कि देश की किसी राजनीतिक पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। चैधरी ने कहा कि ममता बनर्जी ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए ऐसा किया है। राज्य में विपक्षी गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों तृणमूल कांग्रेसए वाममोर्चा और कांग्रेस के बीच तालमेल के मुद्दे पर खींचतान तो दिसंबर से ही चल रही थी लेकिन अब ममता की घोषणा से राज्य में विपक्षी एकता के दरवाजे बंद हो चुके हैं। कांग्रेस ने जनवरी के पहले सप्ताह में ही साफ कह दिया था कि वह ममता की पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं करेगी। उसने अपने सहयोगी वाममोर्चा के साथ मिल कर टीएमसी पर बीजेपी के साथ गोपनीय तालमेल का आरोप लगाया था। दिलचस्प बात यह है कि ममता भी इन दोनों पर यही आरोप लगाती रही हैं।

ममता बनर्जी शुरू से ही यह फामूर्ला देती रही हैं कि देश के बाकी हिस्सों में इंडिया गठबंधन लड़ेए लेकिन बंगाल में उनकी पार्टी ही बीजेपी से मुकाबला कर सकती है। उन्होंने उसी समय पार्टी की एक आंतरिक बैठक में कहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट के कथित अड़ियल रवैए के कारण अगर उनको सीटों के बँटवारे में अहमियत नहीं मिली तो पार्टी अकेले अपने बूते सभी 42 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन तीनों का यह अड़ियल रवैया इंडिया गठबधन की राह की सबसे बड़ी बाधा के तौर पर उभरा है। कांग्रेस नेता अधीर चैधरी का ममता के साथ शुरू से ही छत्तीस का आंकड़ा रहा है। अधीर ने हाल के महीने ममता को मौका परस्त बताते हुए कई भड़काऊ टिप्पणियां की थीं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस बंगाल में अकेले अपने बूते ही आठ.नौ सीटों पर जीत सकती है। ममता के एकतरफा ऐलान के बाद मुर्शिदाबाद में पत्रकारों से बातचीत में अधीर ने कहाए ममता ने साबित कर दिया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने आम लोगों के ध्रुवीकरण और भाजपा की मदद करने के लिए ही मेरे खिलाफ युसूफ पठान को उतारा है। कांग्रेस नेता के मुताबिक ममता को डर है कि अगर वो इंडिया गठबंधन में बनी रहीं तो प्रधानमंत्री नाराज हो जाएंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ कर पीएमओ को संदेश भेजा है कि वो भाजपा से मुकाबला नहीं करना चाहतीं।

सीपीएम ने फिलहाल इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की है। वैसे प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम पहले से ही तृणमूल पर भाजपा से गोपनीय समझौते का आरोप लगाते हुए उसके साथ मिल कर चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छा जताते रहे हैं। बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस की सूची पर कटाक्ष करते हुए उस पर चुनाव जीतने के लिए बाहरी उम्मीदवारों का सहारा लेने का आरोप लगाया है।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पत्रकारों से कहाए ष्तृणमूल कांग्रेस कीर्ति आजाद और युसूफ पठान जैसे बाहरी लोगों को यहां ले आ रही है। वह भाजपा के शीर्ष नेताओं को बाहरी बताती रही हैं तो क्या पठान और आजाद बंगाली हैं इससे जाहिर होता है कि ममता बनर्जी की चुनाव रणनीति से भाजपा में घबराहट है।

सवाल उठता है कि क्या ममता के अकेले लड़ने के फैसले से राज्य की चुनावी तस्वीर में बदलाव आएगाघ् एक वरिष्ठ पत्रकार कहते हैंए ष्ममता इस बार अपनी सीटों की तादाद बढ़ाना चाहती हैं। उनको लग रहा था कि कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की स्थिति में उनके वोट बैंक में सेंध लग सकती है। शायद इसी वजह से उन्होंने कई नए चेहरों को मैदान में उतारा है। वो बीते कुछ महीनों से सभी 42 सीटों पर अकेले लड़ने का एलान करती रही हैं। दूसरी ओर तमाम केंद्रीय आयोग लगातार संदेशखाली का दौरा कर रहे हैंण् राष्ट्रीय जनजाति आयोग की टीम बीते सप्ताह दूसरी बार मौके पर पहुँची थी।

इससे पहले इलाके के दौरे के बाद उसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी रिपोर्ट में बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की थी। प्रदेश बीजेपी के एक बड़े नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर कहते हैंए हम सिंगूर और नंदीग्राम की तर्ज पर ही संदेशखाली आंदोलन को भी खड़ा करना चाहते हैं। संदेशखाली पर आंदोलन तेज करने की अपनी रणनीति के तहत ही पार्टी ने बीते सप्ताह बिग रिवील संदेशखाली शॉकरश शीर्षक से एक डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है। इस मामले में कांग्रेस ने ममता बनर्जी को अकेले छोड़कर एकला चलने पर मजबूर कर दिया।

भतीजे की चाचा को मात

● डेस्क

बिहारी लीला ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में ही हलचल नहीं पैदा की है बल्कि एनडीए गठबंधन में भी हंगामेदार रागिनियां सुनाई पड़ रही हैं। एनडीए में जदयू के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के एक मंच पर होते हुए भी इनके बीच की नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। नीतीश कुमार को तो बार-बार यह सफाई देनी पड़ रही है कि अब वह इधर-उधर जाने वाले नहीं हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं, चिराग पासवान के नाराजगी की चर्चा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने भी सफाई दी है कि वो पहले भी एनडीए में थे, आज भी एनडीए में हैं और जब तक राजनीति करेंगे एनडीए के साथ रहेंगे। उन्होंने सीट बंटवारे में हो रही देरी पर भी अपनी बात रखी। साथ ही चिराग पासवान को दिए तेजस्वी यादव के 'ऑफर' पर भी साफ शब्दों में जवाब दिया। इससे लगता है कि बिहार में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में ठनी हुई है। दोनों इस सीट को लेकर अड़े हुए है। ये सीट रामविलास पासवान का गढ़ रहा है। दोनों नेता इस पर अपना दावा ठोक रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, दोनों ने इस सीट को लेकर अपनी बात बीजेपी आलाकमान तक पहुंचा दी है। चिराग पास-वान एनडीए में हिस्सेदारी को लेकर भी नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें कि नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद सीट बंटवारे का गणित इधर उधर हो गया। पिछली बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने बीजेपी के साथ गठबंधन में 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने 17 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान किया था।

चिराग पासवान के चलते ही संभवतः पशुपति कुमार पारस कहते हैं, मैं एनडीए में हूं, मैं एनडीए में था और मैंने घोषणा की है कि मैं जब तक राजनीति में रहूंगा एनडीए के साथ रहूंगा। हम एनडीए गठबंधन में ईमानदार सहयोगी हैं। एनडीए गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। हमारी पार्टी स्टेट पार्टी है, जो प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा वो हम लोगों के लिए मान्य होगा। अपने दिवंगत बड़े भाई रामविलास पासवान पर उन्होंने कहा, बचपन से ही वो शोषित पीड़ित और अक्लीयत की बात करते थे। मैं रामविलास पासवान नहीं हो सकता हूं लेकिन मैं उनका खून हूं और निश्चित तौर पर उनका जो अधूरा सपना है मेरी को-

शश है कि उसे पूरा करूं।

चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के 'ऑफरह्ल पर उन्होंने कहा कि इस पर उनकी कोई राय नहीं है। पशुपति पारस ने कहा, वो (चिराग पासवान) क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये मामला उनका है। मैं क्या करूंगा ये हमसे पूछ लीजिए। दरअसल, मंगलवार (5 मार्च) को जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया कि क्या अगर चिराग पासवान साथ आएंगे तो वो उनका स्वागत करेंगे, इस सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि जिनको आना हो वो बताएंगे। हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं। दरअसल, चिराग पासवान की नाराजगी की चर्चा ने तब जोर पकड़ लिया जब वो बिहार में पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए थे। चिराग पासवान एनडीए को मजबूत करने की वकालत करते दिखते हैं लेकिन उनकी गैरमौजूदगी ने कई तरह के सवालों को हवा दे दी। हाजीपुर की सीट से अभी पशुपति पारस सांसद हैं। वहीं चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं। चिराग के पिता रामविलास पासवान हाजीपुर सीट से कई बार सांसद रह चुके हैं। रामविलास के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी में दो फाड़ हो गया। चिराग पासवान और पशुपति पारस ने अलग-अलग गुट बना लिया। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक तरह से चिराग पासवान को खुला ऑफर दिया। मीडिया ने जब तेजस्वी से चिराग को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिनको आना होगा वो इसके बारे में तय करेंगे, चिराग ही फैसला करेंगे कि उनको कहां जाना है। सूत्रों के मुताबिक, हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में ठनी हुई है। दोनों इस सीट को लेकर अड़े हुए है। ये सीट रामविलास पासवान का गढ़ रहा है। दोनों नेता इस पर अपना दावा ठोंक रहे हैं।

2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने देश के कई राज्यों से 195 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन बिहार में इन पंक्तियों के लिखे जाने तक सीट शेयरिंग का मामला अटका हुआ था और उसकी बड़ी वजह यह आ रही है कि चिराग पासवान नाराज हैं। चिराग पासवान को हर हाल में हाजीपुर सीट चाहिए, जिस पर उनके चाचा पशुपति पारस कब्जा जमाए हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान की पार्टी यह जरूर कह रही है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं और 2024 में सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत होगी, लेकिन हाजीपुर सीट को लेकर अभी तक चिराग पासवान जिद्द पर अड़े हुए हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रवक्ता डॉ. विनीत सिंह ने कहा कि यह बहुत छोटी बात है। अभी जो मुद्दा है कि बिहार में 40 सीट कैसे जीता जाए। विनीत सिंह ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि 400 से पार सीट हो उस पर हमें काम करना है और जहां तक बात हाजीपुर सीट की है तो जनता ने कई बार बता दिया है कि हाजीपुर की जनता किसको चाहती है। यह बार-बार बोलने की जरूरत नहीं है। हाजीपुर की जनता चिराग पासवान को चाहती है। पशुपति पारस को लेकर विनीत सिंह ने कहा कि यह तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है और हाजीपुर की जनता की बात को सुनकर निर्णय लेना है कि वहां का असली नेता चिराग पासवान है।

ऐसा माना जाता है कि नीतीश कुमार के आने से चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं, लेकिन जेडीयू नेता ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने हाजीपुर सीट के मामले में कहा कि बिहार में सीट शेयरिंग विधिवत पहले तय हो जाए पहली प्राथमिकता एनडीए नेतृत्व के लिए यही है। कौन सीट किसके खाते में होगी उसी के आधार पर उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हर सीट पर कई लोगों की दावेदारी होती है, लेकिन देश में नरेंद्र मोदी की करिश्माई छवि और जो 400 सीटों का लक्ष्य है, भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि सभी घटक पार्टी भी उस रणनीति पर काम कर रही है। इस सवाल का जवाब इसलिए बहुत जल्द मिल जाएगा और सब मिलकर लड़ेंगे।

हालांकि, बीजेपी ने भी साफ कर दिया कि हाजीपुर सीट को लेकर कोई भी बात नहीं है। हम लोग सभी घटक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि कोई विवाद ही नहीं है। सब लोगों का एक ही लक्ष्य है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना और अभूतपूर्व तरीके से 400 के पार और बिहार में लोकसभा की सभी 40 सीटों जीत हासिल करना है। हाजीपुर सीट को लेकर उन्होंने कहा कि यह उनके अपने परिवार का मामला है, लेकिन फैसला मोदी जी करेंगे और सब कोई उसको स्वीकार करेंगे।

हाजीपुर सीट को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया है कि चिराग के एनडीए से नाराज होने की खबरें भी आ रही हैं...इसी के बीच राजद नेता तेजस्वी यादव ने चिराग को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का ऑफर भी दे दिया है...तो फिर बिहार में एनडीए का क्या होने वाला है...आखिर हाजीपुर में चाचा बनाम भतीजे की लड़ाई में कौन जीतेगा।

LATEST UPDATE

1. Ekene Godwin v. State of T.N., 2024 SCC OnLine SC 337

The Trial Court is directed to enlarge the appellants on bail on appropriate stringent terms and conditions, till the conclusion of the trial, after giving an opportunity of being heard to the learned Prosecutor on the terms and conditions of the bail.

To conduct a de novo trial by again examining the prosecution witnesses who have been already examined

It is necessary for witnesses to undergo a principal examination, a cross-examination, and a re-examination. Regarding this, the Court also stated that while postponing cross-examination of witnesses is permitted in warrant proceedings, it is also an exception to the rule of law.

2. SamajParivartan Community and Others vs. State of Karnataka and Ors.

A landmark case that raised focus to the problem of illicit mining operations in the Bellary district of Karnataka, India, was SamajParivartanaSamudaya and Ors.vs. State of Karnataka and Ors. This case is significant because it brought to light the State's loss of revenue as well as the damage to the environment and adverse impacts such operations have on local populations' livelihoods.

After taking up the case, the Supreme Court directed both the federal and state governments to take the appropriate steps to stop the ongoing illegal mining operations. In addition, the Court established the Central Empowered commission (CEC), a special commission tasked with looking into and reporting on the claims of illicit mining.

3. Ajay Kumar Yadav vs. State of Uttar Pradesh and Ors.

When it comes to incidents of police officials being tortured in custody, the Supreme Court has taken a more stringent stance on bail. It found that the accused police official's involvement in the alleged offenses extended beyond his employment as a police vehicle driver, overturning the High Court's decision to grant bail to the accused official. The Court ordered the accused to appear before the CBI Court after taking into account the seriousness of the charges, which included a death in custody. The seriousness of offenses including torture while in custody is highlighted by this ruling, which stands in contrast to the standard bail policy.

4. Thirumurthy v. State

The juvenile justice act of 2015's Sections 15 and 19 were emphasized by the Supreme Court, which reversed the youngster's conviction. The accused, who was tried and found guilty without undergoing the required preliminary evaluation, had their conviction overturned and were given the order to be released. According to the Court, proceedings lacking the evaluation were invalid, and the accused may only be tried by the Children's Court in accordance with Section 19 of the JJ Act. The ruling reaffirmed how crucial it is to try young offenders in accordance with the young Justice Act.

5. Vivek Narayan Sharma (Demonetisation Case-5 J.) v. Union of India, (2023) 3 SCC 1

The Center's 2016 demonetisation policy by a 4:1 majority, finding that the scheme's implementation was suitable and in line with the Union's stated ob-

jectives. The lone dissenter, Justice Gavai, prepared the majority opinion on his own behalf. He was joined by SA Nazeer, A.S. Bopanna, V. Ramasubramanian, JJ, and Nagarathna, J., who all agreed that while demonetisation was a well-intentioned and carefully constructed policy, the way it was implemented was illegal and improper.

6. AnoopBaranwal v. Union of India [Election Commission Appointments], (2023) 6 SCC 161

Appointment of Election Commissioners by 3-member Committee of Prime Minister of India, leader of Opposition and Chief Justice.The dispute concerning the selection of Election Commission of India members and concluded that the President would appoint the Chief Election Commissioner and Election Commissioners upon the recommendation of a three-person committee made up of the Indian Prime Minister; the leader of the opposition in the LokSabha, or in the absence of such a leader, the leader of the largest party in opposition with the most members in the LokSabha; and the Chief Justice of India. The Court made it clear that this standard would apply until Parliament passed a new statute.

7. All India Judges Association v. Union of India

Every High Court across the nation should form committees tasked with carrying out the Second National Judicial Pay Commission's recommendations regarding the pay and working conditions of district judiciary personnel as well as handling complaints from judicial officers.

The Court emphasized that maintaining judges' financial dignity is crucial to maintaining their judicial independence. It further stated that comparing the work of judges to that of other State officers would be completely incorrect. Thus, it mandated that each High Court across the nation establish a body known as the "Committee for Service Conditions of the District Judiciary."

8. BilkisYakubRasool v. Union of India and Others

The State-released prisoners are required by the Court to report back to the jail administration within a fortnight. It stated that the government of the State where the trial had taken place—in this case, Maharashtra—was the competent government qualified to issue orders of remission, and that the Gujarat government lacked the authority to do so. In its ruling, the Court harshly condemned one of the prisoners, Radhyesham, for deceiving the Court by hiding important information and obtaining a favorable ruling from the Supreme Court in May 2022, which ultimately resulted in the release of all eleven of the prisoners.

9. Perumal Raja v. State Rep by Inspector of Police

The Court emphasized that rather than being interpreted formalistically or euphemistically, the requirement of police custody under Section 27 of the Evidence Act should be interpreted pragmatically. By doing this, the division bench seemed to be at odds with a recent ruling by a three-judge bench in Rajesh &Anr. v. State of Madhya Pradesh, which concluded that official police custody is required in order for information gained from an accused person's confessions to be admissible. The two-judge bench in this case, however, reasoned that the notion that "formal" police custody was not required was backed by a 1961 Constitution Bench ruling in State of U.P. v. DeomanUpadhyaya.

HIGH COURT

10. ShibjiPandit Singh VsManju Devi And Others (PATNA HC)

According to Order VI Rule 1 of the Code of Civil Procedure, the defendants have the option to alter their pleadings to fix any flaws in their case if they come across any documents while presenting their case won't be granted the privilege.

The Supreme Court stated "If any document comes during the recording of evidence for the defendants and the defendants are confronted with it, it will give the defendants an opportunity to strengthen their arguments to make up the loopholes in their case." Furthermore, the alteration was made somewhat late, and Order VI Rule 1 expressly prohibits making changes of this kind after the trial has started and in situations where due diligence has not been demonstrated.

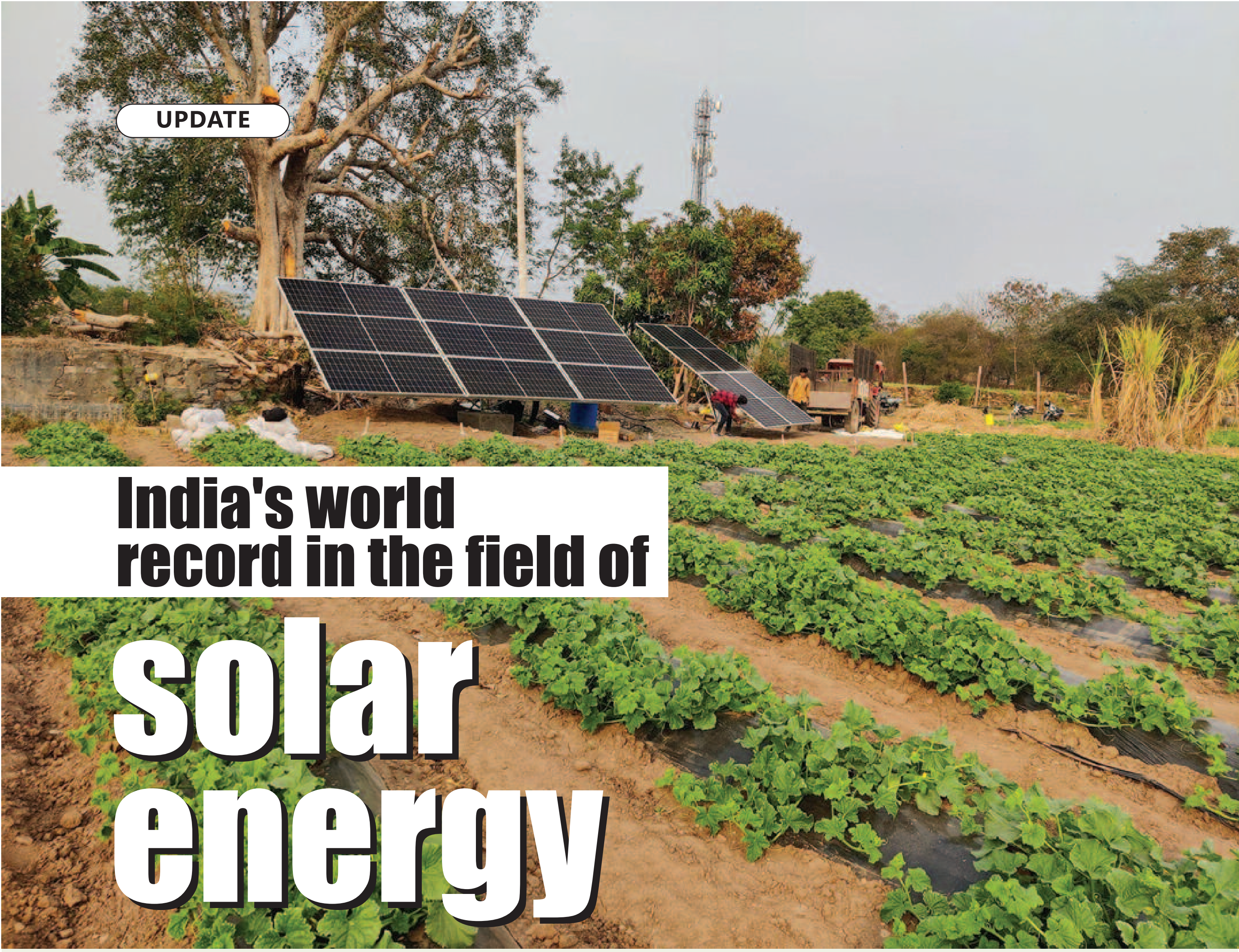

India's world record in the field of solar energy

India will be the first country in the world to supply electricity to 10 million households using solar energy generated on their own rooftops. This ambitious plan of Prime Minister Narendra Modi is going to be implemented very soon. The day is not far when millions of homes in India will meet their daily needs with electricity generated from solar energy.

Rather, we will be able to sell the excess electricity to the government. Recently the Union Cabinet has approved 'PM-Surya Ghar: Free Electricity Scheme'. Under this scheme, 1 crore houses across the country will get a subsidy of up to Rs 78,000 and 300 units of free electricity for installing solar plants on their rooftops. This will cost Rs 75,021 crore. Efforts have been made earlier also for better use of solar energy, but were not successful. In such a situation, what will be the fate of this scheme? Will it be successful? How appropriate is it to spend Rs 75 thousand crore on such a scheme?

Earlier, in the schemes which were introduced to promote the use of solar energy, subsidy was generally given on the purchase of equipment, such as solar lantern, solar cooker etc. People used to buy them because they were cheap on subsidy, but once they got damaged, they did not even bother to get them repaired. Due to this, after one or two years the equipment used to get damaged and the subsidy was wasted.

In the scheme that has been started this time, an attempt has been made to attract people in three ways. First, the government will give up to 60 percent subsidy on setting up solar power plants. Secondly, the families who install plants at their homes under this scheme will be given up to 300 units of free electricity every month. Third, if the electricity generated from the solar plant is not consumed at home, the government will purchase it. A special grid has been made for this. In simple language, this time the government has given such a lure that people will not only be attracted towards the scheme, but will also have a reason to get it repaired if it gets damaged.

But the question is, what benefit does the government get from this? The government will get two benefits. First, there will be no shortage of electricity in the country and the entire electricity system will not be based on coal and water-powered power plants. This will make it easier to meet the increasing electricity demand for the increasing number of electric vehicles and growing industries in the country. Secondly, this will be a big step towards fulfilling the promise that India is making globally to reduce carbon emissions. Most of the carbon emissions come from burning coal and most of the coal is being consumed in power plants. The new solar energy scheme will also help in reducing pollution levels. Gradually all the power generation companies are also being motivated to produce solar energy.

The best step in this scheme is to make this scheme online, that too directly from the central level. Interested families will be able to apply for the subsidy of this scheme on the website and can choose the vendor themselves. This will eliminate the possibility of any kind of corruption. From the same website you will get necessary information like suitable solar system, profit estimation, seller rating etc. At present, families will be able to take loans without any guarantee at about 7 percent interest to install solar plants of up to three kilowatt capacity on the rooftops of residential houses. The government estimates that this scheme will create 17 lakh jobs directly and indirectly. These jobs will be related to making solar panels, transporting them, installing etc.

Today India ranks third in Asia and fifth in the world in terms of its solar energy production. Currently it accounts for about 38 percent of the total capacity of renewable energy. The country's largest solar power plants are located in Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu.

Solar power plants are rated based on the power they produce. Bhadla Solar Park is currently the largest solar power plant producing electricity in India. It is the world's largest solar park in terms of power generation and the second largest solar park in terms of area. The average temperature in Bhadla remains between 46 to 48 degrees centigrade. Which is quite the opposite geographically, as heat waves and sandstorms often cover much of the area. Bhadla is a sandy, dry and arid area spread over approximately 45 square kilometres. The average amount spent in building this solar park is around Rs 10,000 crore. This solar plant is being developed by several stockholders. The construction and maintenance work of this solar park was done by Vikas Company Limited (a subsidiary of Rajasthan Akshay Urja Nigam Limited), Solar Energy Company (Joint Venture Company of Government of Rajasthan and Energy Development Company), and Adani Renewable Energy Park Rajasthan etc. going.

India is one of the few fortunate countries in the world where we get direct sunlight for many hours throughout the year. Till now it was getting destroyed on the roofs of houses and buildings and was also heating them, to cool them electricity was burnt to run AC. Now this will generate electricity and by installing solar panels on the roofs, the heat in those buildings will be reduced. The government has already started installing solar panels on many government buildings. Now the government's plan to install solar panels on 1 crore houses is attractive and if successful, it can prove to be a huge step in terms of power generation.

Tamannaah Bhatia's happiness

Vijay Sharma's film 'Murder Mubarakahn' has become popular in the world of OTT as soon as it came, while he is winning the hearts of the audience with his special chemistry with Tamannaah Bhatia. Let us tell you that there have been talks about Vijay-Tamanna's affair for a long time. Both are often seen together. Amidst all this, Tamannaah Bhatia reviewed boyfriend Vijay Verma's Murder Mubarak. After watching the film, he told the paparazzi how he liked the film.

A special screening of 'Murder Mubarakahn' was organized in Mumbai. During this time, Tamannaah Bhatia had come with her rumored boyfriend Vijay Verma to watch the film. When Tamannaah Bhatia came out of the theater with Vijay Verma after watching the film, the paparazzi surrounded her. During this, both of them first posed for the paparazzi holding each other's hands. After this the paparazzi asked Tamanna for her reaction about 'Murder Mubarakahn'. While telling the paparazzi, Tamanna described the film as very good and said - I liked the picture very well. Let us tell you that this video of Tamanna-Vijay Verma has been shared by photographer Veeral Bhayani on his Instagram.

Royal College of Law

College Code - 875

Royal Educational Institute

College Code - 775

- B.Ed. Counselling Code 1322
- Special offers for B.Ed. candidates.
- Established since 2006
- Lectures by learned professors of different universities and judges of different Honourable Courts
- Wi-Fi campus
- Moot Courts
- Regular activities like debates, quiz competitions, etc. and seminars
- Rich library with different titled books
- Sports facilities, hostel facilities
- Placement cell
- Regular visits to the Supreme Court, Lok Adalats, Jails and Industries, etc.
- Moderate fees in NCR
- Scholarship for Meritorious students
- Guidance for various competitive exams
- Special classes by presentation method
- Special classes on Saturdays and Sundays for working professionals
- Regular communication through e-mail and Facebook
- Online study material and book bank facility
- Hindi and English, both mediums are available for all the courses as per university guidelines
- 24 hours ATM
- CCTV surveillance
- Education Loan facility available from Canara Bank on ease
- Student feedback on a regular basis is taken and extra classes are provided for the weak students
- Spacious cafeteria
- To and fro cab facility is available from Dilshad Garden and Vaishali metro station to the college
- Anti-ragging cell
- Distance Learning Courses available through SHIAT University

Phone: 0120-2761462-64, 3241398, 9810109617, 9910281769 Fax: 0120-2761463

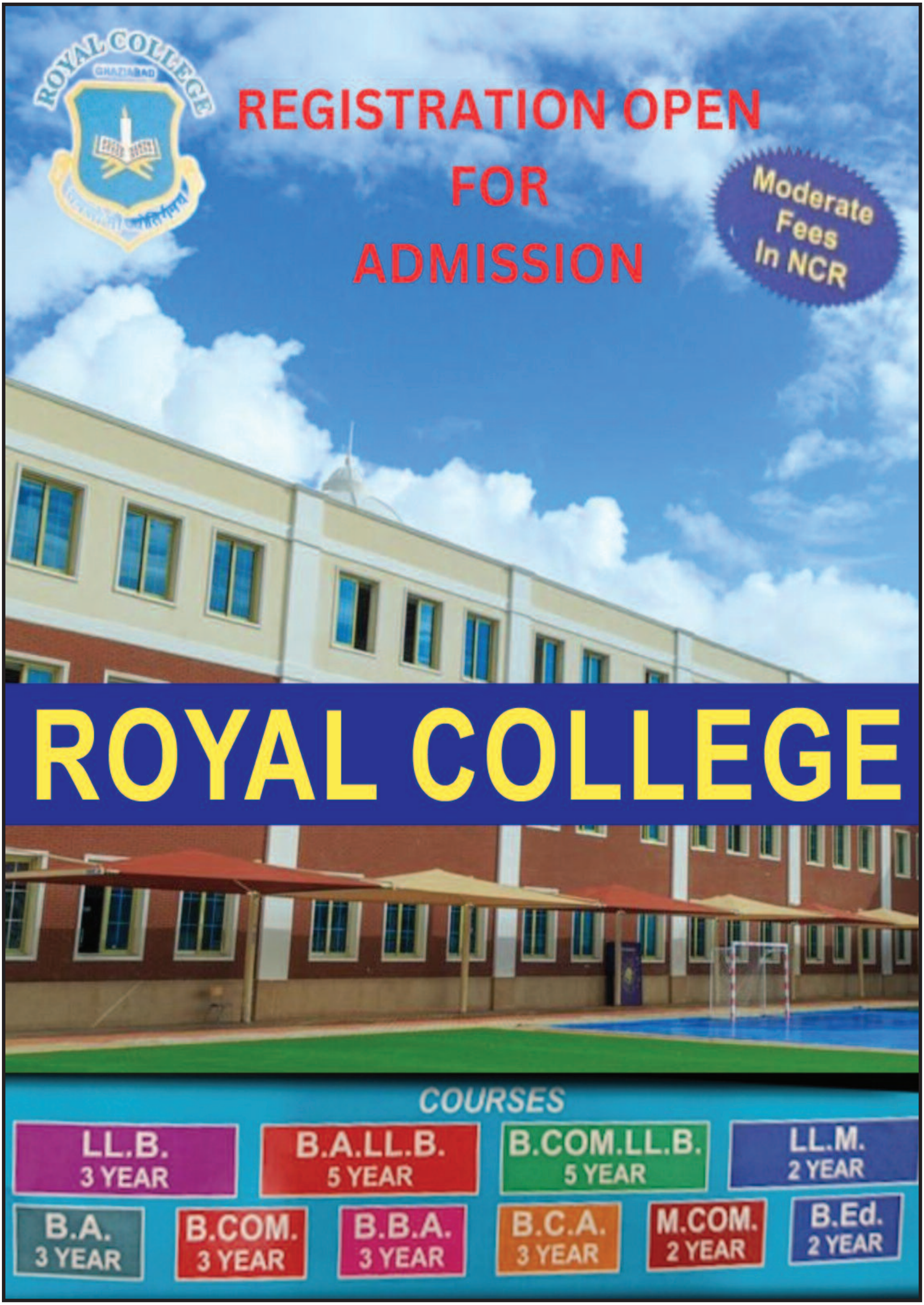
ROYAL COLLEGE
GHAZIABAD
REGISTRATION OPEN
FOR
ADMISSION
Moderate Fees In NCR
ROYAL COLLEGE
COURSES
LL.B. 3 YEAR
B.A.LL.B. 5 YEAR
B.COM.LL.B. 5 YEAR
LL.M. 2 YEAR
B.A. 3 YEAR
B.COM. 3 YEAR
B.B.A. 3 YEAR
B.C.A. 3 YEAR
M.COM. 2 YEAR
B.Ed. 2 YEAR